

घटना घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 305- सोमवार 07- सितम्बर 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.-CHHHIN/2004/15050, डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

विश्व मानचित्र के प्रस्ताव पर भारत ने स्पष्ट किया रुख कहा...समर्थन केवल समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र के सिद्धांत तक सीमित

नई दिल्ली,06 सितम्बर 2026। संयुक्त राष्ट्र महासभा में दुनिया के मानचित्र को अधिक सटीक ढंग से प्रस्तुत करने के उद्देश्य से पारित प्रस्ताव को लेकर भारत ने अपना रुख स्पष्ट किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत का समर्थन केवल समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र प्रक्षेपण के मूल सिद्धांत तक सीमित है। इसका अर्थ किसी विशेष विश्व मानचित्र का समर्थन करना या भारत के भूभाग को दर्शाने के तरीके में किसी तरह का बदलाव करना नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रस्ताव किसी विशेष विश्व मानचित्र को अपनाना या प्रमाणित नहीं करता है। इसमें अंतरराष्ट्रीय सीमाओं,विवादित क्षेत्रों अथवा स्थानों के नामों से जुड़े राजनीतिक मानचित्रण पर भी कोई चर्चा नहीं की गई है। भारत ने स्पष्ट किया है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख सहित देश के पूरे भूभाग को भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुरूप ही प्रदर्शित किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़े किसी भी गलत अथवा भ्रामक चित्रण को स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत ने कहा कि उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर उसका रुख स्पष्ट,सुसंगत और अपरिवर्तनीय है। साथ ही भारत ने इस बात पर जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव तकनीकी और कार्यप्रणाली की दृष्टि से सटीक रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की ओर से भारतीय राजनयिक रघु पुरी ने कहा था कि भारत समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र प्रक्षेपणों के व्यापक उपयोग और उन पर विचार-विमर्श का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के मानचित्रों के उपयोग से भूभाग के अकार को लेकर पैदा होने वाली विकृत धारणाओं को कम करने में मदद मिल सकती है।

विपक्ष के विरोध के बावजूद भारत के विकास की गति नहीं रुकेगी : नितिन नवीन

नई दिल्ली,06 सितम्बर 2026। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'नाराज फूफा' वाले बयान को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को देश के विकास, विरासत और संस्कृति से जुड़ी हर उपलब्धि पर नाराजगी होती है लेकिन उसके विरोध के बावजूद भारत के विकास की गति नहीं रुकेगी और विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। नितिन नवीन ने रविवार को जारी वीडियो में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (एसआरसीसी) के शताब्दी समारोह में युवाओं को संबोधित करते हुए विपक्ष के कुछ नेताओं की तुलना 'नाराज फूफा' से की थी। उन्होंने कहा कि परिवार और समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर बात से असंतुष्ट रहते हैं और किसी सकारात्मक दिशा में आगे नहीं बढ़ पाते। भाजपा अध्यक्ष ने विपक्ष से सवाल किया कि अगर भारत विकास कर रहा है तो उसे नाराजगी क्यों होती है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद भी विपक्ष को नाराजगी है। नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं लेकिन विपक्ष इस उपलब्धि पर भी नाराज है। विपक्ष देश के विकास, विरासत और संस्कृति को आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहा है और निजी स्वार्थ तथा राजनीतिक प्रतिष्ठा तक सीमित हो गया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की स्थिति आज उसी 'नाराज फूफा' जैसी हो गई है, जो हर बात पर असंतुष्ट रहता है।

वायु सेना की सारंग हेलीकॉप्टर टीम अल अलामीन इंटरनेशनल एयर शो के लिए मिस पहुंची

नई दिल्ली,06 सितम्बर 2026। भारतीय वायु सेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्पले टीम, अल अलामीन इंटरनेशनल एयर शो में हिस्सा लेने के लिए मिस पहुंच गई है। दुनिया की इकलौती पांच हेलीकॉप्टरों वाली भारत की यह सारंग टीम 08 से 10 सितंबर तक होने वाले एयर शो में कोरियाग्राम की एक सीरीज के जरिए अपनी सटीकता, प्रोफेशनलिज्म और उड़ान किल्वर दिखाएगी। यह भारतीय वायु सेना की अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों में एक और अहम मील का पथर है,जो भारत और इजिप्ट के बीच बढ़ते रक्षा और डिप्लोमैटिक संबंधों को दिखाता है। देश में डिजाइन और बनाए गए एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (एएलएच) ध्रुव को उड़ते हुए सारंग टीम अपने मुश्किल परॉमैशन मैनुवर, पास-पास उड़ान और सिंक्रोनाइज्ड हवाई सीक्वेंस के लिए मशहूर है। यह डिस्पले न केवल इसके पायलटों के असाधारण कौशल और अनुशासन को दिखाता है बल्कि भारत के स्वदेशी एयरोस्पेस उद्योग की क्षमताओं को भी दिखाता है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सारंग टीम अपना मशहूर 'डॉलिफन लीप' मैनुवर दिखाएगी और स्पॉट स्टॉल टर्न नाम का एक नया युद्धाभ्यास भी पेश करेगी। इस इंटरनेशनल एयर शो में टीम के हिस्सा लेने से दुनिया भर के दर्शकों और एविएशन के शौकीनों को एएलएच ध्रुव की वर्सैटिलिटी और फुर्ती देखने का मौका मिलेगा। अल अलामीन इंटरनेशनल एयर शो दुनिया भर की बड़ी एयरफोर्स के साथ-साथ एयरोस्पेस, डिफेंस और स्पेस सेक्टर के प्रोफेशनल्स को एक साथ लाएगा।



दिल्ली में 5 मंजिला इमारत गिरी,5 की मौत दावा...हादसे के वक्त 50 से ज्यादा लोग अंदर मौजूद थे,बेसमेंट में खुदाई हो रही थी

नई दिल्ली,06 सितम्बर 2026। दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार को एक 5 मंजिला बिल्डिंग गिर गई। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं,5 गंभीर रूप से घायल हैं। जो इमारत गिरी वो 40-50 साल पुरानी थी। मरने वालों में एक छात्र और एक मजदूर है,जबकि एक की पहचान अभी नहीं हुई है। बिल्डिंग में हॉस्टल चलता था। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे के वक्त छात्र कमरों में थे और बेसमेंट में खुदाई चल रही थी। 11 का रेस्क्यू कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में 20-25 कमरे थे और हर कमरे में 2 स्टूडेंट्स रहते थे। हादसे के वक्त अंदर 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। बिल्डिंग के मालिक का नाम आनंद बंसल है,जो गुरुग्राम में रहता है। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सत्य निकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैम्पस के पास बसा प्रमुख छात्र इलाका है। यहां बड़ी संख्या में छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं। इलाके में कई छात्र आवास हैं और आसपास वेंकटेश्वर कॉलेज,आर्धभट्ट कॉलेज,मोतीलाल नेहरू कॉलेज और मैट्रैयी कॉलेज जैसे संस्थान हैं। इसी वजह से यहां दिनभर छात्रों की आवाजाही रहती है। हालांकि,सत्य निकेतन में कुल कितने छात्र रहते हैं,इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। साल 2022 से 2025 तक यानी 3 साल में दिल्ली में बिल्डिंग गिरने के 1133 मामले सामने आए हैं। इन घटनाओं में 98 लोगों की मौत हुई है। सत्य निकेतन इलाके में हुए हादसे की गंभीरता को देखते हुए, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने रविवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से फोन पर बातचीत की। उन्होंने मुख्यमंत्री से राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया।



मलबे से अब तक 9 को निकाला गया

अब तक 9 लोगों को मलबे से निकाला गया है। 5 की मौत हो चुकी है। 4 स्टूडेंट्स और दो मजदूर अस्पताल में एडमिट हैं। मृतकों में एक छात्र,एक मजदूर और अन्य की पहचान नहीं हो सकी है। 4 घायल छात्रों की पहचान अभिषेक,नीरज,आदित्य और एक अन्य की पहचान नहीं हो सकी है। वहीं, दो घायल मजदूरों के नाम असगर अली और अयान हैं।



पीएम मोदी ने जताया गहटा दुःख

इस दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। 5 लोगों की मौत की पुष्टि के बाद, प्रधानमंत्री ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर दुःख जताते हुए लिखा, 'दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत के ढहने की घटना बेहद दुःख है। जिन लोगों ने इस हादसे में अपने प्रियजनों को खोया है,उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। अधिकारी घटनास्थल पर मुस्ती से काम कर रहे हैं और इस हादसे से प्रभावित लोगों की हर संभव मदद कर रहे हैं।'

मध्यप्रदेश के सागर में जहरीली शराब से अब तक 11 की मौत,आठ गंभीर मरीज बीएमसी रेफर

सागर,06 सितम्बर 2026। मध्य प्रदेश के सागर जिले की बंछा तहसील के आसपास के गांवों में जहरीली शराब पीने से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 मरीजों का इलाज चल रहा है और आठ की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर मरीजों को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज (बीएमसी), सागर रेफर किया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर प्रतिभा पाल, एसपी अनुराग सुजानिया सहित वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और अस्पताल में भर्ती मरीजों के इलाज की व्यवस्था का जवाब दिया। प्रशासन ने प्रभावित गांवों में



स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि शनिवार रात घृहर, नौराज, गुमरा खुर्द, बराज और आसपास के क्षेत्रों में कुछ लोगों ने शराब का सेवन किया था। इसके बाद कई

मरीजों में कुछ के शरीर नीले पड़ने और अकड़न की शिकायत सामने आई। डॉक्टरों की निगरानी में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। घटना के बाद रविवार सुबह से स्वास्थ्य विभाग की टीमें प्रभावित गांवों में पहुंचकर शराब का सेवन करने वाले लोगों की स्क्रीनिंग कर रही है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने लोगों से अपील की है कि जिन लोगों ने पिछले 24 से 48 घंटे में किसी भी तरह की शराब का सेवन किया है, वे लक्षण नहीं होने पर भी एहतियात के तौर पर स्क्रीनिंग कराएं। उल्टी, सिरदर्द, बुखार या तबीयत बिगड़ने जैसी शिकायत होने पर तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या सिविल अस्पताल पहुंचने की सलाह दी गई है।

सीजेपी के आंदोलनों को राजनैतिक दलों ने किया हाईजैक : मायावती

लखनऊ,06 सितंबर 2026। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने काकाकर जनता पार्टी (सीजेपी) आंदोलन को राजनीतिक दलों पर हाईजैक करने का आरोप लगाया है। जेन-जी के जंतर जंतर आन्दोलन के दौरान पुलिस अगर समय से उचित कार्रवाई करती तो संजय आजाद जैसी गंभीर घटना नहीं होती। मायावती ने रविवार को एक पोस्ट में लिखा कि सीजेपी का छात्रों की समस्या और युवाओं के बेरोजगारी समेत कई ज्वलंत मुद्दे को लेकर जंतर मंतर आन्दोलन के दौरान जो बड़े-बड़े सपने दिखाये

गये थे। अब वे स्वतंत्र कम और राजनीतिक ज्यादा होकर गंभीर शंकाओं में घिर गये हैं। ऐसा लगता है कि सीजेपी के आन्दोलन को विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने कथित तौर पर कब्जा कर लिया है। बसपा ने हमेशा ही जेन-जी और जेन अल्फा की जरूरी मांगों को लेकर पूरी सहानुभूति रखी है। उन्होंने बसपा के सभी प्रदेश इकाइयों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने राज्य व क्षेत्र में सम्बन्धित अधिकारियों से मिलकर युवाओं की समस्याओं के शान्तिपूर्ण तरीके से समाधान के लिये तत्पर हों।

छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में 30 किलो विस्फोटक-पिस्टल सहित बड़ी मात्रा में नक्सली डंप बरामद

कोंडागांव,06 सितम्बर 2026। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में रविवार को नक्सल सेल, डीआरजी, बस्तर फाइटर्स एवं बीडीएस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 30 किलो विस्फोटक, पिस्टल सहित भारी मात्रा में नक्सली डंप सामग्री बरामद की। कोंडागांव के एसपी पंकज चंद्रा ने इसकी पुष्टि की है। नक्सलियों के डिग्रावर रखे गये हथियार, आईईडी एवं अन्य सामग्रियों की बरामदगी के लिए सतत सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज कोंडागांव नक्सल सेल, डीआरजी, बस्तर फाइटर्स एवं बीडीएस की संयुक्त कार्रवाई में आत्मसमर्पित नक्सलियों की निशानदेही पर थाना मर्दापाल क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम कोरमेल, पुसपाल मोखाखंड के आस-पास



जंगल-पहाड़ क्षेत्र में अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान संयुक्त टीम ने ग्राम पुसपाल मोखाखंडी जंगल-पहाड़ी क्षेत्र की घेराबंदी कर डी-मॉनिंग-सर्चिंग की कार्रवाई में 10 किलोग्राम टिफिन आईईडी, 01 नाग 9 एम.एम. पिस्टल, जीलेटीन विस्फोटक 20 किलोग्राम सहित बड़ी मात्रा में नक्सली डंप बरामद किया। पुलिस के

अनुसार 10 किलोग्राम टिफिन आईईडी को बीडीएस टीम द्वारा सुर्खा के दृष्टिगत मौके पर ही नष्ट किया गया। बरामद नक्सली डंप से टिफिन बम 03 नाग (कुल वजन 10 किलोग्राम), जीलेटीन 160 नाग (कुल वजन 20 किलोग्राम), डेटोनेटर इलेक्ट्रिक 01 नाग, डेटोनेटर नान इलेक्ट्रिक 19 नाग, 9 एम.एम. पिस्टल 01 नाग, नीला कवर का ग्रिप लगा हुआ, वॉकी-टॉकी 06 नाग, मय एंटीना चार्जर हेण्डफोन 06 नाग, डेटोनेटर कमरियल 40 नाग, वायर इलेक्ट्रिक 04 बंडल, स्पेस्टी फ्यूज 01 मीटर, कारडेक्स वायर रंग लाल 05 मीटर लम्बा, पाइप लोहे का 01 नाग (लंबाई 33 इंच, गोलाई 9.5 इंच), पॉलिथिन हरा 05 किलोग्राम बरामद किया गया है।

नक्सलवाद के बाद नशा भी खत्म करेंगे : अमित शाह रेड कॉरिडोर की सोच वालों ने हथियार डाले,नॉर्थईस्ट में 10 हजार युवाओं का आत्मसमर्पण

नई दिल्ली,06 सितम्बर 2026। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने रविवार को गोवा में कहा कि सरकार ने नक्सलवाद खत्म कर दिया है। अब नशीले पदार्थों की समस्या से भी उसी तरह निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि, 'नक्सलवाद के बाद नशीले पदार्थों की समस्या से भी उसी तरह निपटेंगे। जिन्होंने तिरुपति से पशुपतिनाथ तक रेड कॉरिडोर की कल्पना की थी, उन्होंने अब अपने हथियार डाल दिए हैं और मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं।' दरअसल, अमित शाह गोवा के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बयान दिया।



बात करने का उद्देश्य गोवा के पूरे मीडिया से यह अनुरोध करना भी है कि भारत को नशा मुक्त बनाने के इस लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद करें।

1 करोड़ किलो से ज्यादा नशीले पदार्थ जब्त 1 करोड़ किलो से ज्यादा नशीले पदार्थ जब्त

अमित शाह ने कहा- कि 2004 से 2014 तक कांग्रेस शासन के दौरान, 26 लाख किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए गए थे। जबकि, 2014 और 2026 के बीच, यह आंकड़ा बढ़कर 1 करोड़ 19 लाख किलोग्राम से अधिक हो गया।

1 लाख नशामुक्ती मित्र तैयार किए जाएंगे...

गृह मंत्री ने कहा कि अभियान 50 करोड़ नागरिकों तक पहुंचेगा। अभी हाल ही में, प्रधानमंत्री ने एक ही कार्यक्रम में 1 करोड़ युवाओं के साथ बातचीत की। हम 1 लाख 'नशामुक्ति मित्रों' को प्रशिक्षित करने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने 2 अहम को 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान' लॉन्च किया। उन्होंने कहा था कि भारत में ड्रग्स की सफाई दुश्मन देशों की आतंकी साजिश का हिस्सा है। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संबोधन में कहा था- दुश्मन देश भारतीय युवाओं को नशे के जाल में धकेलना चाहते हैं। इस साजिश को मिलकर नाकाम करना होगा।

सरकार को महाराष्ट्र के छात्रों की आवाज सुननी चाहिए नहीं तो छात्रों की गूंज और तेज होगी: राहुल गांधी

नई दिल्ली,06 सितम्बर 2026। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि हजारों छात्र महाराष्ट्र की सड़कों पर विरोध कर रहे हैं क्योंकि पूरा सिस्टम पर से उनका भरोसा टूट गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार को उनकी आवाज सुननी चाहिए और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो, छात्रों की गूंज और तेज होगी। राहुल गांधी ने कहा कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार,हर स्टूडेंट बीजेपी सरकार से परेशान है। पेपर लीक, रुकी हुई भर्तियां,पढ़ाई का बहुत ज्यादा खर्च,हॉस्टल में अमानवीय हालात,जहर जैसा खाना,डीबीटी में धोखाधड़ी। उन्होंने कहा,और अब, उन्होंने एमपीएससी जैसी संवैधानिक



या भर्ती नहीं है, बल्कि एक भरोसा है जो पूरा सिस्टम से टूट गया है। राहुल गांधी ने कहा, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार,हर स्टूडेंट बीजेपी सरकार से परेशान है। पेपर लीक, रुकी हुई भर्तियां,पढ़ाई का बहुत ज्यादा खर्च,हॉस्टल में अमानवीय हालात,जहर जैसा खाना,डीबीटी में धोखाधड़ी। उन्होंने कहा,और अब, उन्होंने एमपीएससी जैसी संवैधानिक

संस्था पर कब्जा कर लिया है और उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी है। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि स्टूडेंट्स की उनके सफल भविष्य के लिए हर मांग जायज है। उन्होंने कहा, सरकार को उनकी आवाज सुननी चाहिए और तुरंत एक्शन लेना चाहिए - नहीं तो,यह छात्रों की गूंज तब तक और तेज होती जाएगी जब तक ईसाफ नहीं मिल जाता। उनकी यह बात महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में मौजूद भर्ती परीक्षा सिस्टम का पूरी तरह से रिव्यू करने और इसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट, सुरक्षित,भरोसेमंद और कैंडिडेट-फ्रेंडली बनाने के उपाय सुझाने के लिए एक हार्ड-लेवल कमेटी बनाने के बाद आई है।

संपादकीय

शिक्षकों की योग्यता

शिक्षक दिवस के अवसर पर परंपरा के अनुसार समाज और देश निर्माण में शिक्षकों की महत्ता को रेखांकित करने के साथ जहां राष्ट्रपति ने देश के 82 शिक्षकों को सम्मानित किया, वहीं प्रधानमंत्री ने उनसे भेंट की। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों से छात्रों की झुग की लत और उनसे स्क्रीन टाइम पर नजर रखने का आग्रह किया।

ऐसा किया जाना समय की मांग है, क्योंकि छात्र नशे की चपेट में तो आ ही रहे हैं, ये मोबाइल के भी लती होते जा रहे हैं। इस लत के लिए सोशल मीडिया कहलाने वाले डिजिटल प्लेटफार्म भी जिम्मेदार हैं। यह सरकार को भी देखना होगा कि छात्र मोबाइल की लत का शिकार होने से कैसे बचें? इसी के साथ सरकार को इस पर भी ध्यान देना होगा कि योग्य शिक्षक कैसे तैयार हों?

इसके लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की समीक्षा की जानी चाहिए। यह देखा जाना समय की मांग है कि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान वास्तव में योग्य शिक्षक तैयार कर पा रहे हैं या नहीं? इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि जिला स्तर पर डायट अर्थात डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और ट्रेनिंग संस्थान शिक्षकों को प्रशिक्षित कर रहे हैं और इन संस्थानों की निगरानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से की जा रही है, क्योंकि यह बार-बार सामने आ रहा है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण का काम सही तरह नहीं हो पा रहा है। बेहतर शिक्षक तब तैयार होंगे, जब उन्हें प्रशिक्षित करने वाले ट्रेनर योग्य होने के साथ अपने दायित्व के प्रति समर्पित होंगे।

एक समय था, जब शिक्षण के प्रति रुचि रखने वाले ही शिक्षक बनने के लिए आगे आते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जब बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती हो रही है और किसी तरह सरकारी नौकरी पाने की चाह रखने वाले भी शिक्षक बन रहे हैं, तब उनकी योग्यता का ध्यान रखा ही जाना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति तभी हो पाएगी, जब शिक्षकों को प्रशिक्षित करने वाले संस्थान उत्तम कोटि के होंगे। यह उम्क नहीं कि ये संस्थान संसाधनों के साथ योग्य प्रशिक्षकों के अभाव का सामना कर रहे हैं।

अखिर जब शिक्षक ही योग्य और सक्षम नहीं होंगे, तब वे भावी पीढ़ी को निखारने का काम कैसे करेंगे? ध्यान रहे कि भावी पीढ़ी तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वाह अध्यापकों को ही करना है। समाज में नैतिकता और मानवीय मूल्यों की स्वीकार्यता अध्यापकों के अनुकरणीय आचरण से ही आएगी। यह सही है कि नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षकों की गुणवत्ता सुधारने पर विशेष बल दिया गया है, लेकिन अभी यह काम कार्यों पर ही अधिक दिखता है। चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए राज्यों को भी योग्य शिक्षकों को तैयार करने के लिए सक्रिय होना होगा।

सोन जल समझौते से सहकारी संघवाद की नई राह



सत्यवान सोरभ भिवानी, हरियाणा

अंतरराज्यीय नदियाँ केवल बहते पानी की नदियाँ ही नहीं हैं, बल्कि ये जीवन रेखाएँ हैं, जो कृषि उत्पादन, पेयजल आपूर्ति, उद्योगों, पारिस्थितिकी तंत्र और लाखों लोगों की आजीविका को सहारा देती हैं। हालाँकि, नदियों का प्रवाह राज्य की सीमाओं को भी पार कर सकता है, इसलिए इनका प्रबंधन राज्यों के बीच टकराव का कारण बन सकता है। हाल ही में बिहार-झारखंड के बीच सोन नदी को लेकर हुआ समझौता, जिसका उद्देश्य लगभग 25 वर्षों से चले आ रहे जल विवाद को बातचीत के माध्यम से हल करना है, सतत जल प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है एक ऐसा जल मुद्दा जिसे केवल सहयोग से ही सुलझाया जा सकता है, न कि टकराव से।

अंतरराज्यीय जल संघर्षों के निरंतर बने रहने का मुख्य कारण जल विकास के लिए परस्पर विरोधी हित हैं। एक राज्य सिंचाई के लिए अधिक जल का उपयोग कर सकता है, जबकि दूसरा पेयजल, उद्योग या शहरी विकास के लिए। ये सभी आवश्यकताएँ जायज हैं, लेकिन जल सीमित है। यदि कई राज्य एक ही नदी पर निर्भर हैं, तो संसाधन दुर्लभ हो जाते हैं और इन आवश्यकताओं को संतुलित करना संघीय प्रशासन के लिए एक चुनौती बन जाता है।

विभिन्न क्षेत्रों और ऋतुओं में जल असंतुलन से जटिलताएं और बढ़ जाती हैं। मानसून के मौसम में अच्छी वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में उस दौरान भारी वर्षा हो सकती है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में वर्षा की



कमी हो सकती है। इस प्रकार, एक नदी एक वर्ष भरपूर जल से भरी हो सकती है और दूसरे वर्ष विरल हो सकती है। जलवायु परिवर्तन के कारण यह स्थिति और भी अनिश्चित होती जा रही है। वर्षा के बदलते पैटर्न से नदियों के प्रवाह में परिवर्तन हो रहा है, जबकि लंबे समय तक सूखा पड़ने और चरम मौसम की घटनाएँ भी जल उपलब्धता को प्रभावित कर रही हैं और जल उपलब्धता के बारे में अनुमानों को कम विश्वसनीय बना रही हैं।

प्रशासनिक पुनर्गठन से ऐतिहासिक समझौतों पर असहमति भी उत्पन्न हो सकती है। बिहार-झारखंड संबंधों के मामले में भी यही स्थिति है। एक ही प्रशासनिक ढांचे के भीतर हुए समझौतों पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है यदि राज्यों का पुनर्गठन हो और उनकी कृषि, जनसंख्या और आर्थिक आवश्यकताएँ विकसित हों। दशकों पहले प्रचलित नियमता की अवधारणा वर्तमान संदर्भ में लागू होना आवश्यक नहीं है।

संघर्ष का एक अन्य बड़ा कारण

ऊपरी इलाकों में चल रही परियोजनाओं का विकास और उनका उपयोग है। बांधों, बैराजों और सिंचाई योजनाओं के कारण निचले इलाकों में पानी की मात्रा और निकासी का कार्यक्रम प्रभावित हो सकता है। सूचना साझाकरण और राज्यों के बीच परियोजना समन्वय के अभाव में, तकनीकी कार्य में निपुणता भी अविश्वास का कारण बन सकती है।

पारदर्शी और वास्तविक समय के जलवैज्ञानिक आंकड़ों की अनुपलब्धता विवादों को और बढ़ा देती है। राज्यों के बीच आवंटित जल की मात्रा और उपलब्ध जल की मात्रा को लेकर अलग-अलग लक्ष्य हो सकते हैं। यदि वर्षा की औसत जल उपयोग के बारे में कोई साझा, वैज्ञानिक रूप से स्वीकृत जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो बातचीत आसानी से परस्पर विरोधी मांगों पर बहस में बदल सकती है। अगर लोग राजनीतिक रूप से संगठित हो जाते हैं तो स्थिति और बिगड़ सकती है। पानी का मुद्दा भावनात्मक है

रास्ते अब मंजिल तक नहीं, जीवन, स्वास्थ्य और प्रकृति से भी जोड़ेंगे

राजमार्गों के किनारे बोया जा रहा है रोहत और प्रकृति का भविष्य

राजमार्गों की खाली जमीन अब देश के स्वास्थ्य की जमीन बनेगी

रास्ते अब मंजिल तक नहीं, जीवन, स्वास्थ्य और प्रकृति से भी जोड़ेंगे। सड़कें किसी देश की केवल राहें नहीं, उनके विकास की दिशा भी बताती हैं। भारत में ये अब शहरों और बाजारों को जोड़ने वाले रास्ते भर नहीं रहें, बल्कि बदलती विकास-दृष्टि की पहचान बन रही हैं। एनएचएआई की 'आरोग्य वन' पहल के तहत राजमार्गों के दोनों ओर नीम, आंवला, जामुन, इमली जैसी औषधीय वृक्ष प्रजातियाँ (और उपयुक्त स्थानों पर तुलसी, अश्वगंधा जैसी वनस्पतियाँ) कतारों में दिखें, तो यह केवल सड़क-सौंदर्य नहीं होगा। यह उस समझ का संकेत होगा कि तेज रफ्तार विकास को भी अंततः हवा, पानी और हरियाली की जरूरत है। सड़क किनारे खड़ा एक छोटा पौधा इसलिए मामूली नहीं—वह उस सोच का प्रतीक है, जिसमें विकास प्रकृति को पीछे छोड़कर नहीं, साथ लेकर आगे बढ़ना चाहता है।

इसे सिर्फ हरियाली की सरकारी कवायद मानना, इसके भीतर छिपे बड़े अर्थ को अनदेखा करना होगा। सड़क किनारे औषधीय पौधों की कतारें एक ऐसी मीन स्वास्थ्य-पट्टी बन सकती हैं, जो बिना कुछ कहे यात्री के मन तक पहुंचे। लंबी यात्रा में थूल, धुआँ, शोर और तनाव के बीच तुलसी की सुगंध, नीम की छया या आंवला-जामुन की हरियाली मन को ठहरने का अहसास दे सकती है। साथ ही, ये पौधे प्रकृति के उस पुराने ज्ञान की याद दिलाएंगे, जिसे आधुनिक जीवन सुविधा की दौड़ में पीछे छोड़ आया है। एक ओर वे कार्बन सोखकर हवा को बेहतर बनाएंगे, दूसरी ओर आयुर्वेद की परंपरा को आधुनिक राजमार्गों से जोड़ेंगे। सड़क और स्वास्थ्य का यह संगम विकास को थोड़ा और मानवीय बना सकता है।

किसी योजना की उम्र उसके उद्घाटन से नहीं, उसके निभाए जाने से तय होती है। 'आरोग्य वन' जैसी पहल तभी सचमुच जीवित रहेंगी, जब सरकारी फाइटों से निकलकर स्थानीय समाज की जिम्मेदारी बने। राजमार्ग प्राधिकरण अकेले इसे नहीं संभाल सकता; स्थानीय समुदाय, स्वयंसेवी संस्थाएँ, आयुष व वन विभाग और प्रशासन को साथ आना होगा। किसानों के लिए औषधीय पौधों की खेती अतिरिक्त आमदनी का द्वार खोल सकती है। स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों को इनके संरक्षण और पहचान से जोड़ने पर पर्यावरण शिक्षा किताबों से निकलकर मिट्टी तक पहुंचेगी। तब पौधा किसी सरकारी योजना का आंकड़ा नहीं, गाँव, किसान,

अनदेखा करना होगा। सड़क किनारे औषधीय पौधों की कतारें एक ऐसी मीन स्वास्थ्य-पट्टी बन सकती हैं, जो बिना कुछ कहे यात्री के मन तक पहुंचे। लंबी यात्रा में थूल, धुआँ, शोर और तनाव के बीच तुलसी की सुगंध, नीम की छया या आंवला-जामुन की हरियाली मन को ठहरने का अहसास दे सकती है। साथ ही, ये पौधे प्रकृति के उस पुराने ज्ञान की याद दिलाएंगे, जिसे आधुनिक जीवन सुविधा की दौड़ में पीछे छोड़ आया है। एक ओर वे कार्बन सोखकर हवा को बेहतर बनाएंगे, दूसरी ओर आयुर्वेद की परंपरा को आधुनिक राजमार्गों से जोड़ेंगे। सड़क और स्वास्थ्य का यह संगम विकास को थोड़ा और मानवीय बना सकता है।

किसी योजना की उम्र उसके उद्घाटन से नहीं, उसके निभाए जाने से तय होती है। 'आरोग्य वन' जैसी पहल तभी सचमुच जीवित रहेंगी, जब सरकारी फाइटों से निकलकर स्थानीय समाज की जिम्मेदारी बने। राजमार्ग प्राधिकरण अकेले इसे नहीं संभाल सकता; स्थानीय समुदाय, स्वयंसेवी संस्थाएँ, आयुष व वन विभाग और प्रशासन को साथ आना होगा। किसानों के लिए औषधीय पौधों की खेती अतिरिक्त आमदनी का द्वार खोल सकती है। स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों को इनके संरक्षण और पहचान से जोड़ने पर पर्यावरण शिक्षा किताबों से निकलकर मिट्टी तक पहुंचेगी। तब पौधा किसी सरकारी योजना का आंकड़ा नहीं, गाँव, किसान,



विद्यार्थी और यात्री—सबकी साझा जिम्मेदारी बनेगा।

बड़ी योजनाएं जमीन पर उतरने वाले कदमों से आकार लेती हैं। एनएचएआई की मौजूदा योजना में पहले चरण में टोल प्लाजा और विश्राम स्थलों के पास चुनिंदा भूखंडों पर रोपण हो रहा है। राष्ट्रीय औषधीय पौधा बोर्ड (एनएमपीबी) और आयुष मंत्रालय के अनुभव से हरियाली के साथ औषधीय संसाधन भी तैयार किए जाएंगे। मॉडल जोन और सेंसर-आधारित सिंचाई उपयोगी हैं, लेकिन सूखे क्षेत्रों में पानी और रखरखाव जरूरी है। स्थानीय वेद्य और आयुर्वेद विशेषज्ञ क्षेत्रानुकूल प्रजातियाँ तय करें। कच्चे

माल को स्थानीय फार्मसियों और आयुष केंद्रों से जोड़ा जाए। विश्राम स्थलों पर सूचना-पट्ट लगे हैं, ताकि यात्री पौधों का औषधीय महत्व जानें। तब सड़क सफर के साथ ज्ञान का रास्ता भी बनेगा।

राजमार्गों के किनारे पड़ी जमीन विकास की उस कहानी का अनकहा हिस्सा है, जिसे अक्सर कोई पढ़ता ही नहीं। धूल, लटराई, अतिक्रमण और प्रदूषण ने इन पट्टियों को उपेक्षा का भूगोल बना दिया है। औषधीय पौधों की योजनाबद्ध कतारें इसी भूले हुए भूभाग में फिर सूखे क्षेत्रों में पानी और रखरखाव जरूरी है। स्थानीय वेद्य और आयुर्वेद विशेषज्ञ क्षेत्रानुकूल प्रजातियाँ तय करें। कच्चे

बंगाल में भारतीय शिक्षा-दृष्टि को

ललित गर्ग, पटपड़गंज, दिल्ली

पश्चिम बंगाल में शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री शुभेंद्रु अधिकारी की ओर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख शैक्षणिक प्रकल्प विद्या भारती के कम से कम एक हजार नए विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य केवल विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने की घोषणा नहीं है, बल्कि इसे राज्य की शिक्षा-दृष्टि में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए। 4 सितंबर 2026 को सामने आई इस घोषणा के अनुसार अगले एक वर्ष में राज्य के प्रत्येक जिले, नगरपालिका और पंचायत तक विद्या भारती के विद्यालयों का विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में विद्या भारती से जुड़े 313 विद्यालय संचालित होने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री ने विद्या भारती के नेतृत्व को राज्य संचिकावलय में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर इस योजना को आगे बढ़ाने का भी निर्मंत्रण दिया है। यह घोषणा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि विद्या भारती आज देश के सबसे बड़े स्वीच्छक शिक्षा-उपक्रमों में से एक है। विद्या भारती के अपने उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उसका नेटवर्क देशभर में 12,500 से अधिक विद्यालयों तक फैला हुआ है और इनमें 35 लाख से अधिक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उसके विद्यालय पूर्व-प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्रदान करते हैं तथा खेल, संगीत, कला, विज्ञान, संस्कार और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे क्षेत्रों को भी शिक्षा का हिस्सा मानते हैं। हाल के समाचारों में देशभर में 12,000 से अधिक विद्यालयों और लगभग 10,000 बाल संस्कार केंद्रों का उल्लेख भी हुआ है। आंकड़ों में अंतर अलग-

अलग वर्षों और संस्थागत गणना-पद्धतियों के कारण हो सकता है, लेकिन इससे विद्या भारती के व्यापक शैक्षिक विस्तार की तस्वीर स्पष्ट होती है। विद्या भारती की विशेषता केवल यह नहीं है कि वह विद्यालयों की एक बड़ी शृंखला संचालित करती है। उसकी मूल अवधारणा शिक्षा को ज्ञान, संस्कार, चरित्र, राष्ट्रबोध और सामाजिक उत्तर दायित्व से जोड़ने की है। संस्था स्वयं अपने उद्देश्य में भारतीय मूल्यों और संस्कृति पर आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, राष्ट्रभावना, आत्मनिर्भरता और सामाजिक जिम्मेदारी को प्रमुखता देती है। ग्रामीण, जनजातीय, सीमावर्ती और अपेक्षाकृत वंचित क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार भी उसके घोषित उद्देश्यों का हिस्सा है। यहीं से पश्चिम बंगाल की नई पहल का व्यापक महत्व सामने आता है। बंगाल भारत की सांस्कृतिक चेतना का एक अत्यंत समृद्ध केंद्र रहा है। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, रवींद्रनाथ ठाकुर, बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय और अनेक महापुरुषों ने भारतीय चिंतन, शिक्षा, साहित्य और विचारधारा को नई दिशा दी। इसलिए बंगाल की शिक्षा व्यवस्था में भारतीय ज्ञान, संस्कृति, मातृभाषा, स्थानीय इतिहास और राष्ट्रीय दायित्व को उचित स्थान देना किसी राजनीतिक आग्रह से अधिक व्यापक सांस्कृतिक आवश्यकता के रूप में देखा जा सकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी इसी दिशा में कई महत्वपूर्ण प्रावधान करती है। नीति का उद्देश्य विद्यार्थी में भारतीय होने के प्रति गहरी आत्मगौरव भावना विकसित करने के साथ ज्ञान, चरित्र, मूल्यों और जिम्मेदार नागरिकता का विकास करना है। विशेष रूप से उल्लेखनीय यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति

बल देने की अनुकरणीय घोषणा



भारतीय ज्ञान परंपरा को शिक्षा से जोड़ने की बात करती है। इसमें भारतीय ज्ञान, प्रणालियों, जनजातीय ज्ञान, पारंपरिक सीखने की पद्धतियाँ, योग, दर्शन, साहित्य, कृषि, वास्तुकला, चिकित्सा, खेल और अन्य भारतीय योगदानों को वैज्ञानिक एवं प्रमाणिक ढंग से पाठ्यक्रम में स्थान देने की बात कही गई है। नीति यह भी कहती है कि पाठ्यचर्या भारतीय और स्थानीय संदर्भ, संस्कृति, परंपरा, भाषा, भूगोल तथा ज्ञान-परंपराओं से जुड़ी होनी चाहिए। इस दृष्टि से देखें तो विद्या भारती का शैक्षिक प्रयोग और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनेक लक्ष्य एक-दूसरे के पूरक दिखाई देते हैं। अंतर यह है कि नीति एक राष्ट्रीय नीति-ढांचा उपलब्ध है, जबकि विद्या भारती जैसा सामाजिक संगठन लंबे समय से विद्यालय स्तर पर मूल्याधारित शिक्षा का अपना प्रयोग करता आया है। इसलिए यदि पश्चिम बंगाल सरकार इस विस्तार को गुणवत्तापूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण, आधुनिक विज्ञान, तकनीक, डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास और संवैधानिक मूल्यों के साथ जोड़ती है तो इसका प्रभाव केवल नए विद्यार्थेय खेलने तक सीमित नहीं रहेगा। विद्यालय खेलना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन अच्छे शिक्षक, प्रशिक्षित प्रधानाचार्य, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, खेल

सुविधाएँ, डिजिटल संसाधन और गुणवत्तापूर्ण पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना वहीं अधिक कठिन कार्य है। इसलिए इस पहल की सफलता संख्या से नहीं, शिक्षा की गुणवत्ता से मापी जानी चाहिए। यदि नए विद्यालय केवल भवन बनकर रह गए तो लक्ष्य अधूरा होगा; यदि वे अच्छे शिक्षक और अच्छे नागरिक बनाने के केंद्र बनते हैं, तभी यह पहल ऐतिहासिक सिद्ध होगी। यहीं स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। देश के अनेक सरकारी विद्यालय संसाधनों की कमी, शिक्षक-अभाव, आधारभूत सुविधाओं की कमजोरी, तकनीकी पिछड़ेपन और स्थानीय सहभागिता की कमी जैसी समस्याओं से जूझते रहे हैं। सरकार अकेले प्रत्येक विद्यालय की हर आवश्यकता पूरी करे, यह व्यावहारिक रूप से कठिन है। ऐसे में सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाओं को सरकार के प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि सहयोगी के रूप में देखा जाना चाहिए। विद्या भारती का विस्तार के साथ यह सहयोग एक नया मॉडल विकसित कर सकता है—सरकार आधारभूत संरचना और नियामक सहयोग दे, स्वयंसेवी संगठन शैक्षिक नवाचार, शिक्षक प्रशिक्षण, सामुदायिक भागीदारी और मूल्याधारित कार्यक्रमों में योगदान करें तथा स्थानीय समाज विद्यालय को अपना संस्थान समझकर उसके विकास में सहभागी बने। विद्या भारती के विस्तार के साथ यह व्यापक शिक्षक प्रशिक्षण अभियान चलाया जाए, जिसमें भारतीय दर्शन के साथ आधुनिक शिक्षाशास्त्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल तकनीक, मनोविज्ञान, कौशल शिक्षा और नई मूल्यांकन पद्धतियाँ शामिल हों, तो यह पूरे देश के लिए अनुकरणीय मॉडल बन सकता है।

तूफान और बारिश की यह घड़ी, एक सनसनीखेज मंजर



आसमान पर छाए हुए काले बादलों की घनघोर गर्जना और उसके साथ ही जमीन की तरफ लपकती हुई कड़कती बिजली, कुदरत के जलाल का एक ऐसा रूप पेश करती है जो दिल में खौफ के साथ-साथ एक सनसनी भी पैदा कर देती है। फिजा में छाया हुआ गहरा अंधेरा और डरा देने वाली खामोशी यह बता रही है कि तूफान अब बिल्कुल करीब आ चुका है। इस हंगामेदार माहौल में, सुनसान सड़क पर बारिश की शुरुआती बुँदें गिरना शुरू हो चुकी हैं, जो जमीन को भिगोने के साथ-साथ हर जूर में एक सिहरन पैदा कर रही हैं।

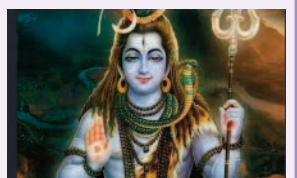
घर पहुँचने की जल्दी और खौफ का अहसास इस खतरनाक मौसम के बीच, रास्ते में मौजूद महिलाओं के कदमों की रफ्तार को देखकर दिल में एक अनजाना डर बैठ जाता है कि न जाने अगले ही पल क्या होने वाला है। बच्चों का मासूम अहसास और बारिश का खौफ अगर इस भीगे हुए रास्ते पर इस वक्त कोई छोटे बच्चे होते, तो उनके जज्बात इस तूफान के सामने और भी ज्यादा नाजुक होते। बच्चों के लिए कड़कती हुई बिजली की आवाज़ और गहरे काले बादल किसी खौफनाक सपने जैसे होते

ध्यान में रखा जाना चाहिए। सर्वप्रथम, जलविज्ञानी डेटा साझा करने की खुली और अद्यतन प्रक्रियाओं को स्थापित करना महत्वपूर्ण है। रुचि रखने वाले सभी राज्यों को एक ही विश्वसनिय जानकारी तक पहुंच प्राप्त होनी चाहिए। प्रायोगिकी नदियों की निगरानी की सटीकता में सुधार करने और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डेटा पर विवाद को कम करने में सहायक हो सकती है। दूसरे, मध्यस्थता के तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। अंतर-राज्य परिषद और क्षेत्रीय परिषदों द्वारा उपलब्ध कराए गए संरचित मंचों का उपयोग मुकदमे बाजी या न्यायिक कार्यवाही से पहले उभरते जल मुद्दों पर चर्चा करने के लिए किया जा सकता है, जिससे भविष्य के विवादों को रोकने में मदद मिलेगी। यद्यपि न्यायालयों और न्यायाधिकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका है, फिर भी बातचीत के माध्यम से किए गए समझौते बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने और दीर्घकालिक संबंधों को बनाए रखने में अधिक सहायक हो सकते हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतरराज्यीय नदियों को किसी एक राज्य की संपत्ति नहीं बल्कि राज्यों द्वारा साझा की जाने वाली एक पारिस्थितिक और आर्थिक प्रणाली के रूप में माना जाना चाहिए। जो राज्य एक ही जल बेसिन साझा करने वाले अन्य राज्यों के हितों की अनदेखी करता है, वह दीर्घकालिक रूप से जल सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता। सहयोग करना कोई समझौता नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है।

बिहार-झारखंड सोन समझौता भारत के संघीय भविष्य के लिए एक सकारात्मक संकेत है।

अखियन ही अखियन में भोले



कार्तिकेय कुमार त्रिपाठी राम इंदौर, मध्य प्रदेश

अखियन ही अखियन में भोले, बातें हमसे करते रहते, एक-एक बात वो मन की कहते, फिर खुलकर वो हंसते रहते। अखियन ही अखियन ... मन का तार जुड़ा होता, भोले से जज्बातों का, मन भर बातें करते जाते, भान नहीं है रातों का । अखियन ही अखियन ... मन का हाल बेहाल हो जाता, साथ भोले का जब मिल जाता, और नहीं कुछ हमको भता, सारा दिन यूँ ही ढल जाता। अखियन ही अखियन... रैन-बसेरा भोले का है, हम एक छोटे-से पक्षी, क्षाँसें सब भोले के हाथों, बात समझ लो तुम पक्षी। अखियन ही अखियन... आओ पल-पल कम तत्व से, हम अपनी गागर भर लें, आओ भोले-भंडारी के सारे, नाम जिह्वा पर हम धर लें, अखियन ही अखियन ...

नैं फुलवारी हूँ...



अशोक पटेल आशु शिवरीनारायण, छत्तीसगढ़

मैं रंग-बिरंगी पुष्पों की फुलवारी हूँ मैं वसुधा को बनाती सुंदर प्यारी हूँ मैं नीत-नीत नूतन बहार लाती हूँ मैं प्रकृति को पुष्पों से सजाती हूँ मैं हवा को सुगंधित कर जाती हूँ मैं सब के तन-मन को महकाती हूँ मैं वृक्ष-तरुओं को रंगीला बनाती हूँ मैं पुष्प-कली में रंग भर जाती हूँ। मैं धमर-तितलियों, को लुभाती हूँ मैं ही चिड़ियों को चह- चखाती हूँ मैं मधु मक्खियों को मधु चखाती हूँ मैं ही धरा को सोलह शृंगार करती हूँ।

सूचना समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर समादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सत्य खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निरापराध अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा। सम्पादक



मोदी के जन्मदिन से एक माह तक चलेगा सेवा अभियान

सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का कार्यकर्ताओं को आह्वान

सेवा संकल्प के मंच से भाजपा ने गिनाई उपलब्धियां, कांग्रेस पर साधा निशाना...

मोदी के जन्मदिन से एक माह तक चलेगा सेवा अभियान, सड़क से शौचालय

तक योजनाओं का बखान, लेकिन जमीनी सवालों पर भी टिकी निगाह...

—संवाददाता—

अम्बिकापुर, 06 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

भाजपा के 'सेवा संकल्प अभियान' को लेकर राजमोहिनी भवन में हुई जिला कार्यशाला और वृहद जिला कार्यसमिति की बैठक संगठनात्मक कार्यक्रम से ज्यादा सरकार की उपलब्धियों के प्रचार और कांग्रेस पर राजनीतिक पलटवार का मंच नजर आई। मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफों के पुल बांधे गए तो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को कटपरे में खड़ा किया गया। सड़क, आवास, शौचालय, उज्ज्वला और जनधन जैसी योजनाओं को लेकर भाजपा नेताओं ने उपलब्धियों का लंबा लेखा-जोखा रखा। बैठक में यह संदेश देने की कोशिश साफ दिखाई दी कि आगामी एक माह तक भाजपा संगठन सरकार की योजनाओं और मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएगा। हालांकि, जनहित के लिहाज से असली परीक्षा यह होगी कि योजनाओं का यह प्रचार कागज और मंच से निकलकर गांव की सड़क, गरीब के घर और आम आदमी की रोजमर्रा की जरूरतों तक कितनी मजबूती से पहुंचता है। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित करने और वंदना गीत से हुई। मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बहिरा जयसवाल सहित प्रदेश और जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे।

मोदी के जन्मदिन से एक माह तक 'सेवा' का संकल्प : मंत्री श्याम बहिरा जयसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशहित में लगातार काम किया है और उनके जन्मदिन 17 सितंबर से एक माह तक संगठन 'सेवा अभियान' चलाएगा। उन्होंने मोदी सरकार

'हर व्यक्ति लाभार्थी' का दावा, हर घर में दीया जलाने की अपील

मंत्री राजेश अग्रवाल ने मोदी सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी सरकारी योजना का लाभार्थी है और प्रधानमंत्री के यश-कीर्ति के लिए हर घर में दीया जलाकर प्रार्थना की जानी चाहिए। उन्होंने हर घर शौचालय योजना को सामाजिक बदलाव का बड़ा माध्यम बताया। साथ ही सरगुजा में भाजपा सरकार द्वारा बड़ी संख्या में सड़क निर्माण करने का दावा किया। सड़कों का मुद्दा आते ही राजनीतिक बहस भी सामने आ गई। अग्रवाल ने शहर की बरसात में खराब हुई कुछ सड़कों को लेकर कांग्रेस पर दुष्प्रचार का आरोप लगाया और कहा कि बरसात खत्म होते ही निर्माण कार्य शुरू होगा। यहीं जनता का सवाल भी सबसे सीधा है...सड़क किसने बनवाई, यह बाद का विषय है, सड़क कब तक टिकेगी और कब तक बनेगी, यह आम आदमी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। बारिश में सड़क उखड़ना और फिर बारिश खत्म होने के बाद मरम्मत का इंतजार करना अब शहरवासियों के लिए कोई नया अनुभव नहीं है।

सड़क पर भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने...

अनुराग सिंह देव ने कांग्रेस शासनकाल की सड़कों की बदहाली और भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए भाजपा शासन में हुए सड़क निर्माण का ब्यौरा रखा। भाजपा नेताओं ने सरगुजा में हजारों करोड़ रुपये के सड़क निर्माण का दावा किया। सड़कें निश्चित रूप से विकास का सबसे दिखाई देने वाला चेहरा हैं। लेकिन इसके साथ एक दूसरा सवाल भी जुड़ा है...नई सड़कें कितनी बनीं, यह आंकड़ा है, कितनी सड़कें गुणवत्तापूर्ण बनीं और कितने साल टिकेंगी, यह जनता का अनुभव होगा। यही वह जगह है जहां राजनीतिक दावे और जमीनी हकीकत का मिलान होना बाकी है।

की उपलब्धियां गिनाते हुए कोरोना काल की नीतियों और वैकसीन निर्माण का भी उल्लेख किया। संबोधन में कांग्रेस पर तीखे राजनीतिक आरोप भी लगाए गए। कांग्रेस के शासनकाल को भ्रष्टाचार और देश को लूटने से जोड़ते हुए उन्होंने इतिहास लेखकों को लेकर भी सवाल उठाए। हालांकि ऐसे राजनीतिक आरोपों के बीच यह सवाल भी स्वाभाविक है कि इतिहास की बहस से ज्यादा आज आम नागरिक के लिए रोजगार, महंगाई, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मौजूदा सवालों का समाधान कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कोरवा, पंडो और

बैगा जैसी विशेष पिछड़ी जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार को मोदी सरकार की योजनाओं का परिणाम बताया। सरगुजा जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में इन दावों का वास्तविक मूल्यांकन गांवों में योजनाओं के लाभ और उनकी पहुंच से ही होना है।

भाजपा बोली... 'कांग्रेस नेटिव बना रही', सवाल यह कि जनता किसे मानेगी? प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी ने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल को देश के विकास का स्वर्णिम काल याद किया जाएगा। उन्होंने जनधन, उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास और

शौचालय जैसी योजनाओं को सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि इन्हें जनता तक पहुंचाने की जरूरत है। उन्होंने कांग्रेस पर भाजपा सरकार की छवि खराब करने के लिए अलग-अलग नैरेटिव चलाने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि जनता कांग्रेस के चाल-चरित्र को समझ चुकी है। राजनीति में नैरेटिव की अपनी जगह है, लेकिन जनता का अपना 'नैरेटिव' भी होता है...जो उसे राशन की दुकान, अस्पताल, स्कूल, सड़क, बिजली और सरकारी दफ्तर में रोज दिखाई देता है। यही कारण है कि किसी भी सरकार की उपलब्धियों का अंतिम पैमाना मंच से कहीं गंई बात नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देने वाला बदलाव होता है।

सड़क पर भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने : अनुराग सिंह देव ने कांग्रेस शासनकाल की सड़कों की बदहाली और भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए भाजपा शासन में हुए सड़क निर्माण का ब्यौरा रखा। भाजपा नेताओं ने सरगुजा में हजारों करोड़ रुपये के सड़क निर्माण का दावा किया। सड़कें निश्चित रूप से विकास का सबसे दिखाई देने वाला चेहरा हैं। लेकिन इसके साथ एक दूसरा सवाल भी जुड़ा है...नई सड़कें कितनी बनीं, यह आंकड़ा है, कितनी सड़कें गुणवत्तापूर्ण बनीं और कितने साल टिकेंगी, यह जनता का अनुभव होगा। यही वह जगह है जहां राजनीतिक दावे और जमीनी हकीकत का मिलान होना बाकी है।

'लाल आतंक मुक्त छत्तीसगढ़' का श्रेय मोदी नेतृत्व को : विधायक रामकुमार टोपो ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब लाल आतंक से मुक्त हो गया है और भारतीय सेना का हौसला बुलंद है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल नेतृत्व का परिणाम बताया।

उन्होंने आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी और कार्यकर्ताओं से पूरी सक्रियता के साथ अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया।

जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को दिया गांव-गांव पहुंचने का टारगेट : भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने कहा कि 'सेवा संकल्प अभियान' संगठन के सेवा, सुशासन और जनकल्याण के संकल्प को जनता तक पहुंचाने का अवसर है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचाने तथा अभियान के सभी कार्यक्रमों को पूरी निष्ठा से सफल बनाने का आह्वान किया। संगठन की रणनीति से साफ है कि अगले एक महीने में भाजपा सरकार की योजनाओं को उपलब्धि और संगठन के सेवा कार्यों को राजनीतिक संवाद का माध्यम बनाकर जनता के बीच जाने की तैयारी में है। अब देखना यह होगा कि कार्यकर्ता केवल योजनाओं की जानकारी लेकर पहुंचते हैं या जनता की शिकायतें भी वापस संगठन और सरकार तक लेकर आते हैं।

बैठक में संगठन से लेकर चुनावी संदेश तक : संभाग प्रभारी अवधेश सिंह चंदेल और जिला प्रभारी कृष्णकांत चंद्रा ने संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की। कार्यक्रम में विधायक प्रबोध मिंज, जिला सह प्रभारी सुनील गुप्ता, महसूपर मंजूषा भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष निरुपा सिंह, पूर्व सांसद कमलभान सिंह सहित पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक का संचालन महामंत्री विनोद हर्ष और अरुणा सिंह ने किया, जबकि आभार वैभव सिंह देव ने व्यक्त किया।

राजनीतिक समीक्षा : सेवा अभियान या उपलब्धियों का प्रचार अभियान?

भाजपा का सेवा संकल्प अभियान निश्चित रूप से संगठन को जनता के बीच सक्रिय करने का प्रयास है। लेकिन राजनीतिक रूप से देखें तो यह अभियान सरकार की उपलब्धियों को आगामी राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनाने की रणनीति भी है। मोदी के जन्मदिन से शुरू होने वाला एक माह का अभियान भाजपा के लिए गांव-गांव संपर्क, योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंच और सरकार के पक्ष में माहौल बनाने का अवसर होगा। कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने के लिए भाजपा ने पहले ही सड़क, विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं को अपना प्रमुख हथियार बना लिया है। लेकिन जनहित की असली कसौटी इससे आगे है।

जिस गांव में सड़क आज भी खराब है, जिस परिवार को आवास की किरत का इंतजार है, जिस युवा को रोजगार चाहिए, जिस मरीज को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा चाहिए और जिस किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य चाहिए...उसके लिए 'सेवा' का अर्थ भाषण नहीं, समाधान है।

इसलिए भाजपा के इस अभियान की सफलता केवल कितने कार्यक्रम हुए और कितने कार्यकर्ता जुटे, इससे तय नहीं होगी। सफलता तब मांदी जाएगी जब सेवा संकल्प के बाद जनता यह कहे कि सरकार और संगठन के आने से उसकी समस्या सच में कम हुई है। यानी इस बार भाजपा के सामने चुनौती सिर्फ 'उपलब्धियां बताने' की नहीं, बल्कि उपलब्धियों को जमीन पर साबित करने की भी है।

आश्रम में चोरी रोकने पहुंचे तो उल्टा एयरगन से हमला

करने की शिकायत, अब प्रबंधन ने बताया अपना पक्ष

खीष्ट मिलन आश्रम प्रबंधन का दावा...कई महीनों से हो रही चोरी, 19 अगस्त को भी टीवी, पंप, वायर, पंखे और लोहे का सामान चोरी होने की शिकायत

—संवाददाता—

अम्बिकापुर, 06 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

नमनाकला रिंग रोड स्थित खीष्ट मिलन आश्रम परिसर में 4 सितंबर को एयरगन दिखाने को लेकर हुए विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। घटना को लेकर आश्रम प्रबंधन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दावा किया है कि परिसर में पिछले कई महीनों से चोरी की घटनाएं हो रही हैं और इसकी शिकायत पुलिस से लगातार की जा रही है। प्रबंधन के अनुसार 4 सितंबर को भी कुछ युवक परिसर में लोहे का सामान उठाकर ले जा रहे थे, जिन्हें रोकने के दौरान विवाद की स्थिति बनी। आश्रम के सुरक्षित एवम् संचालक हेरमन मिंज ने बताया कि 4 सितंबर की दोपहर नमनाकला के खटीकपारा निवासी आयुष सोनकर, आजाद सोनकर व उनके अन्य साथी आश्रम परिसर में पहुंचे और लोहे का सामान सहित अन्य सामग्री ले जाने लगे। इसकी जानकारी सह-संचालक विनोद तिकी को मिली तो उन्होंने उन्हें डराने के लिए चिड़िया मारने वाली एयरगन दिखाई। प्रबंधन का दावा है कि इसके बाद युवक सामान छोड़कर भागने लगे और कुछ लोग कांटेदार जाली से टकराने के कारण मामूली रूप से घायल हुए।

घटना का वीडियो बनाकर अलग कहानी बताई...

आश्रम प्रबंधन का आरोप है कि कुछ समय बाद संबंधित युवक दोबारा मौके पर पहुंचे। इसी दौरान घटना का वीडियो बनाया गया और पूरे घटनाक्रम की वास्तविक परिस्थितियों को छिपाते हुए विनोद तिकी पर एयरगन और हथियार से हमला करने का आरोप लगाया गया। प्रबंधन ने इसे गलत और निराधार बताया है। मिंज के अनुसार, चोरी की घटना को लेकर पुलिस में शिकायत होने की आशंका के चलते दूसरे पक्ष ने पहले ही थाने में विनोद तिकी के खिलाफ शिकायत कर दी। आश्रम प्रबंधन ने सवाल उठाया कि यदि परिसर में किसी काम से प्रवेश किया



गया था तो बिना अनुमति निजी परिसर में जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी।

19 अगस्त की चोरी में भी कई सामान गायब होने का दावा : प्रबंधन ने बताया कि 19 अगस्त 2026 को भी आश्रम परिसर से एक टीवी, ट्यूब पंप, विद्युत वायर, केबल, 8 पंखे, लोहे की राड, लोहे के पोल सहित अन्य सामग्री चोरी होने की शिकायत थाने में की गई थी। आश्रम प्रबंधन का दावा है कि परिसर में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है।

पुलिस से कार्रवाई और जल्दी की मांग : सह-संचालक विनोद तिकी की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत में आयुष सोनकर, आजाद सोनकर एवं अन्य के खिलाफ निजी परिसर में अनधिकृत प्रवेश, चोरी अथवा चोरी के प्रयास और आपराधिक अतिक्रमण सहित उचित धाराओं में कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही 4 सितंबर की घटनास्थल पर छोड़े गए सामान को जब्त कर पंचनामा तैयार करने तथा मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। आश्रम प्रबंधन ने कहा है कि परिसर में लगातार चोरी की घटनाओं को देखते हुए दण्डियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

किसानों की मांगों पर आंदोलन की तैयारी, गांव-गांव संगठन विस्तार का लक्ष्य

भारतीय किसान संघ की संभागीय बैठक में बनी रणनीति

30 सितंबर के दिल्ली महिला सम्मेलन पर भी हुई विशेष चर्चा

—संवाददाता—

अम्बिकापुर, 06 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

किसानों की समस्याओं और मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ ने अब तहसील से जिला स्तर तक आवाज बुलंद करने की तैयारी शुरू कर दी है। रविवार को सरगुजा संभाग में आयोजित भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश की संभागीय बैठक में संगठन के विस्तार से लेकर आगामी आंदोलनों और कार्यक्रमों की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई। बैठक में संभाग प्रभारी एवं प्रदेश अध्यक्ष माधव सिंह तथा प्रदेश युवा प्रमुख किशोर सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। संभाग के विभिन्न जिलों के अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष एवं पदाधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया।

ध्वज व संगठन गीत से हुई शुरुआत : बैठक की शुरुआत विधिवत ध्वजारोहण और संगठन के नारों के साथ हुई। इसके बाद संगठन गीत एवं पदाधिकारियों का परिचय कराया गया। सभी जिलों में संगठन की गतिविधियों, किसानों



से जुड़े मुद्दों और अब तक किए गए कार्यों का वृत्त लिया गया। चर्चा के बाद आगामी कार्यक्रमों को लेकर जिम्मेदारियां और कार्ययोजना तय की गई।

गांव-गांव मनाई जाएगी बलराम जयंती : बैठक में संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। इसके लिए अधिक से अधिक गांवों में सदस्यता अभियान चलाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संगठन का विस्तार करने का निर्णय

लिया गया। साथ ही अधिक से अधिक गांवों में भगवान बलराम जयंती मनाने की योजना बनाई गई।

30 सितंबर के दिल्ली सम्मेलन पर फोकस : बैठक में 30 सितंबर को दिल्ली में प्रस्तावित महिला सम्मेलन को लेकर भी विशेष चर्चा हुई। सम्मेलन में अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने और इसकी तैयारियों को लेकर जिलास्तर पर आवश्यक कार्य करने पर जोर दिया गया।

तहसील-जिला स्तर पर ज्ञापन और आंदोलन : किसानों की विभिन्न मांगों एवं स्थानीय समस्याओं को लेकर तहसील और जिला स्तर पर ज्ञापन सौंपने तथा आवश्यकता के अनुसार आंदोलन करने की रणनीति भी तय की गई। संगठन का उद्देश्य किसानों की समस्याओं को संबंधित अधिकारियों और शासन तक प्रभावी तरीके से पहुंचाना है।

कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने की भी योजना : संगठन की गतिविधियों को प्रभावी बनाने के लिए सभी जिलों में कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए जाएंगे। बैठक में कार्यकर्ताओं को संगठन की विचारधारा, किसान हित के मुद्दों और संगठनात्मक गतिविधियों से जोड़ने पर भी चर्चा हुई। बैठक में उपस्थित जिला अध्यक्ष सरगुजा रुक्मिणी सिंह, जिला उपाध्यक्ष अंजू गुप्ता, धीरज शर्मा, राजेंद्र यादव, देवेश नायदेव, कुमार विकास सिंह, नरेंद्र, विपिन सिंह, अखिल चंद राजवाड़े, जयप्रकाश, मनबोध राजवाड़े, गोपाल कुशवाहा, श्यामलाल साहू, नरेश यादव सहित संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कियोस्क संचालक के घर में सेंध लगाकर घुसे चोर, नकदी-सामान समेत चार लाख पार

—संवाददाता—

अम्बिकापुर, 06 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम मोतीपुर में अज्ञात चोरों ने कियोस्क संचालक के घर सेंध लगाकर नकदी और कीमती सामान समेत करीब चार लाख रुपये का माल पार कर दिया। वारदात की खस बात यह रही कि चोर घर में लगे सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर भी अपने साथ ले गए। जानकारी के अनुसार मोतीपुर



निवासी सुरेश महाजन ग्रामीण बैंक के कियोस्क का संचालन करता है। 5 सितंबर की दरमियानी रात

अज्ञात चोरों ने उनके घर को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि चोर घर के पीछे की तरफ से

कच्ची दीवार में सेंध लगाकर अंदर दाखिल हुए। इसके बाद घर में रखी नकदी और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। परिजनों के अनुसार चोरी गए सामान और नकदी की कुल कीमत करीब चार लाख रुपये है। चोरों ने वारदात के दौरान घर में लगे सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर को भी निकाल लिया और अपने साथ ले गए। इससे पुलिस के सामने चोरों तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त चुनौती खड़ी हो गई है।

कच्ची दीवार में सेंध लगाकर अंदर दाखिल हुए। इसके बाद घर में रखी नकदी और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। परिजनों के अनुसार चोरी गए सामान और नकदी की कुल कीमत करीब चार लाख रुपये है। चोरों ने वारदात के दौरान घर में लगे सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर को भी निकाल लिया और अपने साथ ले गए। इससे पुलिस के सामने चोरों तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त चुनौती खड़ी हो गई है।

घटना की जानकारी मिलने पर पीड़ित परिवार ने दरिमा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है।

ग्रामीणों ने राहत बढ़ाने की मांग : घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि रात के समय क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस गश्त नहीं होती, जिससे चोरी की घटनाओं का खतरा बना रहता है।

झीरम का फैसला आया,पर कांग्रेस बोली...‘न्याय अभी अधूरा’

सरगुजा कांग्रेस ने एनआईए की जांच पर उठाए सवाल,कहा...बड़े नवसली नेताओं और कथित राजनीतिक षड्यंत्र की जांच क्यों नहीं हुई...

—संवाददाता—
अम्बिकापुर,06 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

झीरम घाटी नक्सली हमले के 13 साल बाद एनआईए की विशेष अदालत द्वारा मामले में सुनवाई का सामना कर रहे सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिए जाने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने अदालत के फैसले का सम्मान करते हुए इसे‘आधा-अधूरा न्याय’बताया है। पार्टी ने मामले की जांच करने वाली एनआईए की विवेचना पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि जांच हमले को अंजाम देने वाले कुछ आरोपियों तक सीमित रही,जबकि कथित बड़ी साजिश और उसके पीछे के लोगों तक जांच नहीं पहुंची। इसी मुद्दे को लेकर सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी ने रविवार को राजीव भवन में पत्रकार वार्ता आयोजित की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 25 मई 2013 को दरभा क्षेत्र की झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हुए हमले में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं समेत बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी। करीब 13 वर्ष बाद अदालत ने 10 आरोपियों को दोषी माना है। अब दोषियों की सजा पर फैसला 16 सितंबर को होगा है।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष बोले...जांच को छोटे नक्सलियों तक सीमित रखा: जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही एनआईए की जांच की दिशा पर सवाल उठाती रही है। उनके अनुसार जांच को



‘यात्रा के रूट पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी...

कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि टीएस सिंहदेव ने पार्टी हाईकमान को भी बताया था कि जिस मार्ग से परिवर्तन यात्रा गुजर रही थी, वहां पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि तत्कालीन सरकार ने सुरक्षा में हुई कथित चूक से ध्यान हटाने के लिए अंतिम समय में यात्रा का रूट बदले जाने की बात प्रचारित की। पाठक ने कहा कि कांग्रेस की नजर में इन सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच आवश्यक थी, लेकिन एनआईए की जांच से कथित राजनीतिक षड्यंत्र का पहलू स्पष्ट नहीं हो सका।

केवल हमले में शामिल निचले स्तर के नक्सली आरोपियों तक सीमित रखा गया,जबकि पार्टी का दावा है कि बड़े नक्सली नेताओं की भूमिका और कथित षड्यंत्र के अन्य पहलुओं की पर्याप्त जांच नहीं की गई।

पाठक ने आरोप लगाया कि जिन बड़े नक्सली नेताओं की गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण की बातें सामने आईं,उनके खिलाफ इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने और पूछताछ के जरिए

हमले के पीछे की पूरी साजिश सामने लाने का प्रयास नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव,जो परिवर्तन यात्रा के संयोजक थे,ने एनआईए को ऐसे कई तथ्य उपलब्ध कराए थे,जिनसे घटना के पीछे संभावित षड्यंत्र की दिशा में जांच की जरूरत सामने आती थी। कांग्रेस का आरोप है कि घटना में घायल लोगों और रिपोर्टकर्ता तक के बयान नहीं लिए गए।

जेपी श्रीवास्तव बोले...एसआईटी जांच पर एनआईए ने लगवाया था स्टै : प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष जेपी श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में झीरम मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि कांग्रेस शासन में जांच नहीं हुई,ऐसा कहा जाता है तो उस समय की पूरी कानूनी और जांच प्रक्रिया को भी सामने रखा जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि एनआईए ने एसआईटी की जांच को लेकर न्यायालय का रुख किया था और एसआईटी की जांच पर रोक लगी थी। श्रीवास्तव ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसआईटी को जांच का रास्ता मिलने की स्थिति में राज्य सरकार को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने विष्णुदेव साय सरकार पर आरोप लगाया कि वह इस मामले में ढाई साल से चुपी साधे हुए है।

दो पिकअप में दूंसकर बूचड़खाने ले जा रहे थे 8 मवेशी,5 गिरफ्तार

लखनपुर पुलिस की घेराबंदी में फंके गए अठारोपी,2 मवेशी मृत मिले,वाहन समेत 12 लाख का मशरूका जप्त

—संवाददाता—

लखनपुर,06 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)। मवेशियों को क्रूरतापूर्वक पिकअप वाहनों में भरकर बूचड़खाने ले जाने की सूचना पर लखनपुर पुलिस ने रविवार को कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से दो पिकअप वाहनों में दूंसकर ले जाए जा रहे 8 मवेशियों को बरामद किया,जिनमें दो मृत मिले। कार्रवाई में दोनों पिकअप वाहन और मवेशियों समेत करीब 12 लाख रुपए का मशरूका जब्त किया गया है। पुलिस के अनुसार 6 सितंबर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम चैनपुर काजुवाड़ी के पास दो पिकअप वाहनों में मवेशियों को जबरन लोड कर बूचड़खाने ले जाने की तैयारी की जा रही है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी की। मौके पर UP 25 KT 0155 नंबर की पिकअप में चार मवेशी बैसा और UP 25 JT 4974 में भी चार मवेशी बैसा क्रूरतापूर्वक लोड मिले। दोनों वाहनों में मौजूद लोगों से पुलिस ने मवेशियों के परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज मांगे, लेकिन वे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। पूछताछ में पहले वाहन में सूरज सारथी (32), निवासी चैनपुर टिकरापारा और नितिश राणा (25),निवासी बेरली,उत्तर प्रदेश बताए गए। दूसरे वाहन में जमीन उर्फ जमीर अंसारी (42), मो. आयुब (45) और मो. जुनैद (18 वर्ष 6 माह) के होने की जानकारी पुलिस ने दी है। पुलिस ने दोनों वाहनों से कुल 8 मवेशियों को जब्त किया। इनमें 2 मवेशी मृत मिले,जबकि 6 जीवित थे। मृत मवेशियों का पशु चिकित्सक लखनपुर से पोस्टमार्टम कराया गया। जीवित 6 मवेशियों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया है।



नशीली कफ सिरप का झारखंड कनेक्शन,मुख्य सप्लायर गिरफ्तार

—संवाददाता—

बलरामपुर-रामानुजगंज,06 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)। क्षेत्र में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कुसमो पुलिस ने नशीली कफ सिरप के कथित मुख्य सप्लायर को झारखंड से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने महुआडांड,जिला लातेहार निवासी दामोदर प्रसाद (59) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक मामले की शुरुआत मुखबिर की सूचना से हुई। पुलिस टीम ने एकलव्य स्कूल के पास घेराबंदी कर आसिफ अंसारी उर्फ बबलू को पकड़ा था। तलाशी में उसके कब्जे से ONEREX कंपनी की कोडिन युक्त 13 शीशी नशीली कफ सिरप,कुल 1300 एमएल,बरामद की गई थी।

शिक्षक दिवस पर अनिता मंदिलवार ‘सपना’ को डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन सम्मान

राष्ट्रीय शिक्षक संगोष्ठी में 107 शिक्षकों का चयन,साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए मिला राष्ट्रीय सम्मान

—संवाददाता—
अम्बिकापुर,06 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

शिक्षक दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के गोंड में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक संगोष्ठी एवं डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन सम्मान समारोह में सरगुजा की व्याख्याता एवं साहित्यकार अनिता मंदिलवार ‘सपना’ को वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर मिले इस सम्मान से शिक्षा और साहित्य जगत में सरगुजा का गौरव बढ़ा है। शांति फाउंडेशन,गोंड द्वारा शांति मेमोरियल स्कूल,अशोकपुर टिक्रिया,वजीरांग में आयोजित समारोह में महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाजसेवी एवं पद्मश्री डॉ. विजय कुमार शाह मुख्य अतिथि रहे।

छाट गोंड के प्रवक्ता मो. शरीफ एवं भते विमल सागर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के संयोजक स्टैट अवॉर्ड्स शिक्षक सुनील कुमार आनंद,शांति फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती पिकी देवी,सचिव गया प्रसाद आनंद एवं शांति मेमोरियल स्कूल के प्रधानाचार्य रमेश आनंद ने अतिथियों एवं सम्मानित शिक्षकों का स्वागत किया।

107 शिक्षकों में हुआ चयन

समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, उत्कृष्ट कार्य, सामाजिक सरोकार,विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और समाज निर्माण में उल्लेखनीय



योगदान देने वाले शिक्षकों एवं शिक्षाविदों को सम्मानित किया गया। इनोवेटिव टीचर्स ग्रुप ऑफ इंडिया से प्राप्त नवाचारों एवं शिक्षकों के उत्कृष्ट कार्यों का चयन समिति द्वारा मूल्यांकन किया गया। इसके बाद चयनित 107 शिक्षकों में अनिता मंदिलवार ‘सपना’ को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन सम्मान प्रदान किया गया।

शिक्षा के साथ साहित्य और समाजसेवा में भी पहचान...

राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित व्याख्याता अनिता मंदिलवार ‘सपना’ शिक्षा के साथ साहित्य और सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। उनकी रचनाएं विभिन्न साझा एवं एकल साहित्यिक संग्रहों में प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी साहित्यिक रचनाओं को गोलडन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स,इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एवं ऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान मिल चुका है। वे लंबे समय से अकाशवाणी के महिला कार्यक्रम ‘घर आंगन’ से जुड़ी हैं तथा विभिन्न साहित्यिक एवं सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से सेवाएं दे रही हैं। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्हें अनेक सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। वर्तमान में अनिता मंदिलवार ‘सपना’ शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,असोला,अंबिकापुर,सरगुजा (छत्तीसगढ़) में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हैं। शिक्षा,साहित्य,समाजसेवा और जनजागरूकता के क्षेत्र में उनकी सक्रियता लगातार बनी हुई है। वर्तमान में वे बाल साहित्य के क्षेत्र में भी कार्य कर रही हैं।

अवैध शराब बेच रही महिला गिरफ्तार

—संवाददाता—
उदयपुर,06 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

ग्राम कलचा में अवैध शराब बिक्री की सूचना पर आबकारी विभाग की टीम ने दबिश देकर एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से मध्यप्रदेश की गोवा शराब और बीयर के कैन बरामद किए गए हैं। मामले में आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को न्यायालय में पेश किया गया। आबकारी विभाग को ग्राम कलचा में अंतरराज्यीय शराब की अवैध बिक्री किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर आबकारी उप निरीक्षक अनिल गुप्ता के नेतृत्व में टीम ने ग्राम कलचा में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान महिला के कब्जे से मध्यप्रदेश निर्मित गोवा शराब और बीयर कैन बरामद किए गए। आरोपी महिला ग्राम कलचा,थाना उदयपुर क्षेत्र की रहने वाली बताई गई है। आबकारी विभाग ने शराब जब्त कर आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया।

अस्मिता वूमेंस लीग में 180 खिलाडियों ने दिखाया दम गांधी स्टेडियम में दूसरी बार हुआ आयोजन,विभिन्न आयु वर्गों में खिलाडियों ने किया शानदार प्रदर्शन

—संवाददाता—

अम्बिकापुर,06 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

खेलो इंडिया एवं भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआर) के तत्वावधान में अस्मिता वूमेंस लीग सॉफ्ट टेनिस-2026 का आयोजन रविवार को गांधी स्टेडियम स्थित लॉन टेनिस ग्राउंड में किया गया। प्रतियोगिता में जिलेभर से 180 महिला खिलाडियों ने पंजीयन कराया और विभिन्न आयु वर्गों में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। खिलाडियों ने अपने खेल कौशल और प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महर्षी मंजूषा भगत,भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष शुभांगी बिहाड़े,एमआईसी सदस्य प्रियंका गुप्ता,अखिल भारतीय अग्रवाल महिला सम्मेलन की राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष रंजू अग्रवाल, केआर जननकल कॉलेज की डायरेक्टर डॉ. रीतू जैन,जिला महामंत्री प्रियंका चौबे,प्रदेश सचिव सुनीता अग्रवाल,जिला महामंत्री अंजू



अग्रवाल एवं जिला कोषाध्यक्ष सेनू गोयल उपस्थित रही। प्रतियोगिता में पर्यवेक्षक के रूप में रविशंकर धनगर एवं दिलीप कुमार विश्वकर्मा मौजूद रहे।

विजेता खिलाडियों ने मारी बाजी : प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग में आराध्या कश्यप ने प्रथम,गरिमा सिंह ने द्वितीय,दीर्घशिखा एक्का ने तृतीय और अंशिका ने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। इसी वर्ग में गिरू राजवाड़े प्रथम,शालिनी मुंडा द्वितीय, मुस्कान तृतीय और चंचल चतुर्थ रहीं। सीनियर वर्ग में श्रेया उपाध्याय ने प्रथम,आर्या ने द्वितीय,नीलम ने

में भव्य जगराता एवं माता की चौकी आयोजित करने की योजना है। इसके साथ समिति की ओर से श्रद्धालुओं के लिए विशाल महाभंडारे का आयोजन किया जाएगा। माता के आम्रमन से लेकर विसर्जन शोभायात्रा तक बेहतर साउंड सिस्टम और सुसज्जित वाहनों की व्यवस्था भी की जाएगी।

सदस्यों ने लिया आयोजन सफल बनाने का संकल्प : बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। समिति के सदस्यों एवं कार्यकर्ताओं ने आयोजन को सफल बनाने के लिए तन-मन-धन से सहयोग करने का संकल्प लिया। बैठक में कौशलेंद्र पाण्डेय,अमरेश तिवारी, सतीश शुक्ल,अशोक पाण्डेय, शुभांकुर् पाण्डेय, दिनेश पाण्डेय,अनिल कुमार मिश्रा, अजय सिंह, हर्ष कुमार पाण्डेय,ऋषभ तिवारी, रवि पाण्डेय,अमित सिंह,अतुल कश्यप,शुभम राय, प्रिंस जायसवाल,पिंरू गुप्ता,मृत्युंजय गुप्ता, राज गुप्ता (राहुल),मुकेश गुप्ता,आयुष सिन्हा, रिशू राज गुप्ता,अनुराग केसरी,करण गुप्ता, अरविन्द तिवारी,सूरज साहू,सूर्या गुप्ता,दश पाण्डेय,रमेश गुप्ता,धर्नंजय कुमार वर्मा,राजेश केशरी, मनोहर गुप्ता,राहुल जायसवाल,लक्की गुप्ता एवं अंकित कुमार पाण्डेय सहित समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।



लगातार 16वीं बार निर्विरोध अध्यक्ष बने शुभांकुर पाण्डेय

ओम शिव सेवा समिति मायापुर की आम बैठक में फैसला ,16वें दुर्गोत्सव को मव्य बनाने 16 बिंदुओं पर बनी कार्ययोजना

—संवाददाता—
अम्बिकापुर,06 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

मायापुर स्थित ओम शिव सेवा समिति की आम बैठक रविवार को आयोजित हुई। आगामी शारदीय नवरात्र एवं मां भगवती दुर्गा पूजनोत्सव की तैयारियों को लेकर हुई बैठक में समिति के कार्यकारिणी गठन के साथ ही इस वर्ष के 16वें दुर्गोत्सव को भव्य एवं आकर्षक रूप से आयोजित करने की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में समिति के सदस्यों ने लगातार 15 वर्षों से पूजा आयोजन के सफल संचालन और सामाजिक सहभागिता को देखते हुए शुभांकुर पाण्डेय को लगातार 16वें वर्ष निर्विरोध अध्यक्ष चुना। अध्यक्ष चुने जाने पर उपस्थित सदस्यों ने उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया और आयोजन को सफल बनाने के लिए उनके नेतृत्व में एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया।

16 बिंदुओं पर बनी सहमति,10 दिन चलेगा आयोजन : बैठक में आगामी 10 दिवसीय दुर्गोत्सव को भक्तिमय, अनुशासित और आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मां भगवती की भव्य प्रतिमा स्थापना के साथ सुरक्षित एवं वाटरप्रूफ पंडाल,आकर्षक विद्युत



सज्जा और पूजा परिसर की विशेष सजावट की योजना बनाई गई। समिति की ओर से बताया गया कि विद्वान पंडित रामेश्वर तिवारी लगातार 16 वर्षों से दस दिनों तक वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दैनिक पूजन-अर्चन कराते आ रहे हैं। इस वर्ष भी प्रतिदिन विधि-विधान से पूजा होगी। मां भगवती को नैवेद्य के रूप में फल, दूध-दही एवं पुष्प अर्पित करने की व्यवस्था भी की जाएगी।

जगराता और महाभंडारा रहेगा आकर्षण : नवरात्र के दौरान एक विशेष रात्रि



जिस बैंक का कर्ज नहीं चुकाया,उसी बैंक की अध्यक्षी! रामकिशुन की कुर्सी पर ‘कालातीत’ सवाल

कर्ज कालातीत,लेकिन अध्यक्षी ‘टाइम पर’! रामकिशुन की कुर्सी पर बैंक के दस्तावेजों का सवाल...

कर्ज कालातीत,कुर्सी आवाद! सहकारी बैंक अध्यक्ष रामकिशुन की नियुक्ति पर गंभीर सवाल... 2009 में 10 लाख की नकद साख सीमा,वर्षों तक बैंक के पत्रों में कालातीत खाता 2026 की रिपोर्ट में करीब 42.10 लाख का नेट क्लोजर अमाउंट...अब नियुक्ति की पात्रता जांच की मांग...	बैंक रिकॉर्ड में कालातीत कर्ज,फिर अध्यक्ष की कुर्सी पर रामकिशुन कैसे? जिस खाते पर नाबार्ड की आपत्ति, उसी बैंक की कमान रामकिशुन के हाथ! 2009 का कर्ज पीछ नहीं छोड़ रहा, फिर भी अध्यक्ष नहीं छूटी! रामकिशुन पर सवाल...	24 लाख से 42 लाख तक पहुंचा कर्ज, अध्यक्ष पद पर बैठ गए रामकिशुन! डिफॉल्टर खाते का साया,सहकारी बैंक की अध्यक्षी पर सवाल! रामकिशुन कब हटेंगे? 2009 में 10 लाख की नकद साख सीमा,बैंक के पत्रों में 2021 से 2024 तक खाते को कालातीत बताया गया
--	--	--

–अनिल सिन्हा–
अंबिकापुर/सरगुजा,06 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

सहकारिता व्यवस्था में आम सदस्य से एक-एक रुपये की वसूली के लिए नियमों की किताब खोल दी जाती है,नोटिस निकलता है,दबाव बनता है, कार्रवाई होती है और जरूरत पड़े तो पद भी चला जाता है,मगर जब बात उसी व्यवस्था की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की हो,तो क्या नियमों की किताब कुछ देर के लिए बंद हो जाती है? जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर,सरगुजा के अध्यक्ष रामकिशुन सिंह की नियुक्ति को लेकर सामने आई शिकायत ने यही असहज सवाल खड़ा कर दिया है। मामला किसी राजनीतिक बयान से नहीं, बल्कि बैंक के उपलब्ध दस्तावेजों और एक लिखित शिकायत से जुड़ा है,शिकायतकर्ता ने आयुक्त एवं पंजीयक,सहकारी संस्थाएं,छत्तीसगढ़ के समक्ष दावा किया है कि रामकिशुन सिंह से संबंधित ऋण खाता कालातीत रहा है और ऐसी स्थिति में उनकी अध्यक्ष पद की पात्रता की जांच की जानी चाहिए,दस्तावेजों में 2 अप्रैल 2009 को प्रो. मैसर्स बाबा टंगीनाथ स्टोन क्रेशर,गंगापुर् मेनरोड, अंबिकापुर के नाम पर 10 लाख रुपये की नकद साख सीमा स्वीकृत होने का उल्लेख है,इसके बाद वर्षों तक बैंक की ओर से जारी पत्रों में खाते की कालातीत राशि बढ़ती दिखाई देती है,अब सवाल सीधा है जब बैंक के रिकॉर्ड में ऋण खाता वर्षों तक कालातीत बताया जाता रहा,तो उसी बैंक की अध्यक्षी के लिए रामकिशन सिंह की पात्रता किस आधार पर तय हुई?

10 लाख से शुरू हुआ खाता,लाखों की देनदारी तक पहुंचा-कहानी की शुरुआत 2 अप्रैल 2009 से होती है,बैंक के दस्तावेज के मुताबिक बाबा टंगीनाथ स्टोन क्रेशर के नाम पर 10 लाख रुपये की नकद साख सीमा स्वीकृत की गई थी, वर्षों बाद यह खाता सामान्य स्थिति में नहीं रहा,बैंक के पत्र बताते हैं कि खाते की रकम कालातीत हो चुकी थी और नाबार्ड निरीक्षण में इस पर आपत्ति भी दर्ज की गई,28 जुलाई 2021 के पत्र में बैंक ने करीब 24,75,511 रुपये की कालातीत राशि बताई,पत्र में यह भी लिखा गया कि ऋण कालातीत होने के कारण नाबार्ड निरीक्षण के दौरान आपत्ति ली गई तथा प्रबंध संचालक ने मामले को गंभीरता से लिया है,संबंधित राशि जमा करने के लिए निर्देश दिया गया,यानी 10 लाख की स्वीकृत सीमा से शुरू हुआ मामला 2021 तक करीब 25 लाख की कालातीत राशि के आसपास पहुंच चुका था,यहां सवाल यह नहीं कि ब्याज कैसे बढ़ा,बैंकिंग व्यवस्था में ब्याज और दंड जुड़ने की

2022 में फिर बैंक का पत्र,फिर वही कालातीत खाता...

अगर 2021 की चिट्ठी के बाद मामला सुलझ गया होता तो विवाद की गुंजाइश कम हो सकती थी,लेकिन बैंक के अगले दस्तावेज में 1 नवंबर 2022 को फिर पत्र जारी हुआ,इस बार कालातीत राशि करीब 28,63,912 रुपये बताई गई,बैंक ने दोबारा नाबार्ड निरीक्षण की आपत्ति और प्रबंध संचालक द्वारा मामले को गंभीरता से लिए जाने का उल्लेख किया,मतलब साफ है...बैंक की चिंता खत्म नहीं हुई थी,कर्ज की फाइल अभी भी जीवित थी,कालातीत शब्द अभी भी दस्तावेज में मौजूद था,और सवाल भी वहीं था,यदि सामान्य सदस्य का खाता कालातीत हो तो उसके खिलाफ नियम सक्रिय हो जाते हैं,तो अध्यक्ष पद के लिए पात्रता जांच में यही नियम कितने सक्रिय थे?

2023 में भी नहीं बदली तस्वीर...

22 मार्च 2023 के बैंक पत्र में इसी खाते की कालातीत राशि करीब 29,91,135 रुपये दर्ज है,बैंक ने फिर राशि जमा करने और खाते को लेकर आपत्ति का उल्लेख किया,तीन साल के दस्तावेज सामने रखिए 2021–24.75 लाख से अधिक,2022–28.63 लाख से अधिक,2023–29.91 लाख से अधिक अर्थात बैंक के रिकॉर्ड में संबंधित खाता लगातार चर्चा में था,यह कोई एक दिन की चूक नहीं थी,यह कोई एक नोटिस का मामला नहीं था,यह वर्षों तक चलती रही बैंकिंग स्थिति थी,अब यदि इसी अवधि में रामकिशुन सिंह को सहकारी बैंक के शीर्ष पद की जिम्मेदारी मिली,तो नियुक्ति प्रक्रिया में उनके ऋण खाते की जांच हुई या नहीं-यह जानना स्वाभाविक है।

प्रक्रिया हो सकती है,सवाल यह है कि खाते की यह स्थिति अध्यक्ष पद की पात्रता जांच के समय किस टेबल पर रखी गई थी?

2024 में कालातीत राशि 34.73 लाख के पार-12 नवंबर 2024 के दस्तावेज में कालातीत राशि करीब 34,73,902 रुपये दर्ज है,अब आंकड़ों का क्रम और स्पष्ट हो जाता है,2009 में स्वीकृत सीमा-10 लाख,2021 में कालातीत राशि-24.75 लाख से अधिक,2022 में-28.63 लाख से अधिक, 2023 में-29.91 लाख से अधिक, 2024 में-34.73 लाख से अधिक,और फिर 2026 में बैंक के सिस्टम की एक रिपोर्ट सामने आती है।

2026 की रिपोर्ट ने बढ़ाया मामला-फाइल के पांचवें और छठे पेज पर बैंक की सीसी/ओडी अकाउंट क्लोजर इंकवायरी रिपोर्ट है,इसमें कस्टमर का नाम बाबा टंगीनाथ स्टोन क्रशर दिखाते है,रिपोर्ट में करीब 6.12 लाख रुपये करंट बैलेंस,करीब 30.32 लाख एक्जुड इंटेरेस्ट,करीब 5.75 लाख एक्जुड पेनल्टी इंटेरेस्ट और लाभग 42.10 लाख रुपये नेट क्लोजर अमाउंट दर्ज है,यानी बैंक के सिस्टम रिकॉर्ड में मामला केवल मूल 10 लाख की स्वीकृत सीमा तक सीमित नहीं दिखाता,यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि नेट क्लोजर अमाउंट में ब्याज,जुर्माना अथवा अन्य बैंकिंग मदें शामिल हो सकती हैं और अंतिम बकाया की पुष्टि बैंक के पूरे खाते और वर्तमान स्थिति से हो होगी,फिर भी यह डॉक्यूमेंट एक बड़ा सवाल तो खड़ा करता ही है क्या प्रेसिडेंट की नियुक्ति के समय इस खाते की स्थिति का विधिवत परीक्षण किया गया था?

शिकायतकर्ता ने उठाया पात्रता का मुद्दा- शिकायत के अंतिम पृष्ठ में आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाओं को संबोधित करते हुए रामकिशुन सिंह की अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के संबंध में शिकायत की गई है,शिकायतकर्ता का दावा है कि संबंधित ऋण कालातीत हो चुका था और सहकारी अधिनियम के तहत कालातीत ऋणी सदस्य अध्यक्ष,संचालक अथवा मनीनीत सदस्य बनने के योग्य नहीं है,इसी आधार पर रामकिशुन सिंह की पात्रता की जांच तथा वैधानिक कार्रवाई की मांग की गई है,यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिकायतकर्ता का आरोप अपने आप में अंतिम निष्कर्ष नहीं है,यह तय करना सक्षम सहकारी प्राधिकारी का काम है कि नियुक्ति के समय कौन-सा नियम लागू था,खाते की वास्तविक स्थिति क्या थी और क्या उस स्थिति में अध्यक्ष बनने पर कोई वैधानिक रोक थी,लेकिन सवाल इतना गंभीर जरूर है कि इसे सिर्फ शिकायत कहकर फाइल में दबा देना उचित नहीं होगा।

सहकारी बैंक में नियमों की दो किताबें तो नहीं?—यही इस पूरे मामले का सबसे तीखा व्यंग्य है,सहकारी व्यवस्था में किसानों और समितियों को समय पर ऋण चुकाने के लिए लगातार समझाइश दी जाती है,कालातीत खातों पर नजर रखी जाती है,वसूली अभियान चलते हैं, समितियों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा होती है, पदाधिकारियों की पात्रता भी नियमों से तय होती है, तो फिर सवाल उठता है नियम आम सदस्य के लिए लोहे की दीवार हैं और अध्यक्ष के लिए रबर की सीमा? यदि रामकिशन सिंह पात्र थे,तो विभाग को

नियम और उनकी पात्रता स्पष्ट करनी चाहिए,यदि पात्रता में समस्या थी,तो नियुक्ति प्रक्रिया पर जवाबदेही तय होनी चाहिए,बीच का रास्ता जनता को भ्रमित करता है।

‘वसूली’ की सख्ती और अध्यक्ष के खाते की नरमी?

स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी है कि बैंक और समितियों से जुड़े मामलों में वसूली को लेकर काफी सख्ती दिखाई गई और कई समितियों के पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, यदि संबंधित मामलों में कार्रवाई नियमों के अनुरूप हुई है तो यह बैंक प्रशासन का अधिकार है, लेकिन उसी कसौटी को अध्यक्ष के मामले में भी लागू किया जाना चाहिए, सहकारिता का नियम यही होना चाहिए कि पद छोटा हो या बड़ा...खाता देखकर नियम न बदले,अगर किसी समिति अध्यक्ष के खाते में गड़बड़ी पर कार्रवाई होती है तो बैंक अध्यक्ष की पात्रता भी उसी पैमाने पर परखी जानी चाहिए,यही निष्पक्षता है,यही संस्थागत विश्वसनीयता है।

क्या कुर्सी तक पहुंचने से पहले ऋण की फाइल पहुंची थी?

अब विभाग के सामने सबसे जरूरी सवाल नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ा है,क्या अध्यक्ष पद के लिए नाम तय करते समय संबंधित व्यक्ति से ऋणमुक्ति अथवा नियमित खाते का प्रमाण लिया गया था? क्या बैंक ने अपनी प्रणाली में उनके खाते की जांच की? क्या कालातीत खातों की सूची देखी गई? क्या नाबार्ड निरीक्षण की आपत्तियों को देखा गया? क्या नियुक्ति से पहले पात्रता संबंधी कोई सत्यापन रिपोर्ट बनी? यदि बनी तो उसमें क्या लिखा था? और यदि नहीं बनी तो क्यों नहीं बनी? इन सवालों के जवाब मिल जाएं तो विवाद का बड़ा हिस्सा खुद समाप्त हो सकता है।

2009 की फाइल आज 2026 में अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंच गई

इस मामले की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिस ऋण खाते की शुरुआत 17 साल पहले हुई थी,वही आज अध्यक्ष पद की पात्रता का मुद्दा बन गया है,एक ओर बैंक के रिकॉर्ड में कालातीत राशि के संबंध में लगातार पत्र हैं,दूसरी ओर उसी सहकारी बैंक की अध्यक्षी है,बीच में नाबार्ड निरीक्षण की आपत्ति है,ब्याज है,दंड है,और अब शिकायत है, इतनी लंबी कहानी के बाद अगर विभाग कहे कि हमें कुछ पता ही नहीं था,तो अगला सवाल होगा की फिर बैंक के रिकॉर्ड किसके लिए रखे गए थे?

अब जांच हो तो केवल रामकिशन की नहीं, नियुक्ति प्रक्रिया की भी हो...

यदि सरकार या सहकारी विभाग इस शिकायत पर गंभीरता से संज्ञान लेता है तो जांच का दायरा सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि रामकिशुन सिंह के खाते में कितनी रकम बकाया है, जांच यह भी होनी चाहिए कि अध्यक्ष पद की नियुक्ति से पहले पात्रता परीक्षण किसने किया? किस अधिकारी ने दस्तावेजों का सत्यापन किया? क्या बैंक से रिपोर्ट ली गई? क्या संबंधित ऋण खाते की स्थिति सामने रखी गई? क्या कालातीत ऋणी सदस्य की पात्रता से जुड़े नियमों का परीक्षण किया गया? यदि खाते की स्थिति ज्ञात थी तो नियुक्ति की अनुमति किस आधार पर दी गई? यही असली जांच होगी।

अब रामकिशुन की कुर्सी पर फैसला दस्तावेज करेंगे...

इस मामले में व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप से ज्यादा जरूरी है कि दस्तावेजों की जांच हो,रामकिशुन सिंह के पास भी अपनी स्थिति स्पष्ट करने का पूरा अधिकार है,यदि ऋण नियमित हो चुका था,भुगतान हो चुका था,खाता किसी वैधानिक प्रक्रिया के तहत निपट चुका था या अध्यक्ष पद के लिए कालातीत ऋण बाधक नहीं था,तो संबंधित रिकॉर्ड सामने रखे जा सकते हैं,लेकिन यदि बैंक के रिकॉर्ड में नियुक्ति के समय भी वही स्थिति थी जिसका आरोप लगाया गया है,तो विभाग को बताना होगा कि पात्रता कैसे तय हुई,साफ जवाब ही इस विवाद का रास्ता है।

सहकारी बैंक की साख का सवाल...

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक केवल एक वित्तीय संस्था नहीं है, इससे किसानों, समितियों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सीधा संबंध होता है,ऐसे संस्थान की अध्यक्षी पर जब ऋण खाते की स्थिति को लेकर सवाल उठता है तो उसका असर सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता,सवाल संस्था की विश्वसनीयता तक पहुंचता है,क्योंकि जिस व्यक्ति से बैंक के करोड़ों रुपये के वित्तीय अनुशासन की निगरानी की उम्मीद की जाती है,उसकी अपनी पात्रता पर ही सवाल उठ जाए तो जनता स्वाभाविक रूप से पूछेगी पहले अपनी किताब साफ थी या बैंक की?

अब पंजीयक के सामने गेंद

शिकायत की प्रतियां कई वरिष्ठ अधिकारियों और संबंधित संस्थाओं को भेजे जाने का उल्लेख दस्तावेज के अंतिम पृष्ठ पर है,अब देखना यह है कि यह शिकायत भी सहकारी फाइलों की उस लंबी कतार का हिस्सा बनती है जहां आवेदन जाते हैं,खयरी नंबर मिलते हैं,नोटशीट घूमती है और फिर मामला किसी अलमारी में शांत हो जाता है-या इस बार वास्तव में नियमों की किताब खोली जाती है,क्योंकि यहां फैसला किसी अखबार को नहीं करना है, फैसला सहकारी विभाग को करना है।

व्यंग्य का अंतिम बार

सहकारी बैंक की इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि रामकिशुन सिंह ने 2009 में 10 लाख रुपये का ऋण लिया था,बैंक के दस्तावेज इस खाते के अस्तित्व और बाद के वर्षों में कालातीत राशि दर्ज होने की तस्वीर सामने रखते हैं,सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब बैंक की फाइल में कर्ज कालातीत हो रहा था,तब अध्यक्ष पद की पात्रता किस तरीखा को नियमित हो गई? अगर नियम कहते हैं कि ऐसे ऋणी व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बन सकते,तो फिर कुर्सी तक रास्ता किसने साफ किया? अगर नियम ऐसा नहीं कहते,तो शिकायतकर्ता को नियम की प्रति दिखा दी जाए,अगर खाता बाद में नियमित हुआ,तो तारीख बता दी जाए,अगर भुगतान हुआ,तो उसका रिकॉर्ड सामने रख दिया जाए,और अगर सब कुछ नियम के मुताबिक हुआ है,तो सबसे अच्छा यही होगा कि विभाग सार्वजनिक रूप से स्थिति स्पष्ट कर दे,क्योंकि सहकारी बैंक में वसूली का डंडा गरीब सदस्य की चौखट तक पहुंच सकता है,लेकिन वही डंडा अध्यक्ष की कुर्सी के दरवाजे पर जाकर रुक जाए...ऐसा संदेश संस्था की साख के लिए ठीक नहीं है,अब सवाल रामकिशन सिंह के पक्ष या विपक्ष का नहीं है,सवाल है एक ही नियम सबके लिए है या नहीं,और यही तय करेगा कि यह मामला सिर्फ एक शिकायत है...या फिर सहकारी बैंक की व्यवस्था में ‘कालातीत’ हो चुकी जवाबदेही की फाइल।

विज्ञान,नवाचार और सामाजिक सरोकारों के लिए सूरजपुर के दो शिक्षकों को राज्यपाल पुरस्कार गोपाल सिंह और योगेश कुमार साहू राज्य शिक्षक सम्मान से सम्मानित,कलेक्टर ने दी बधाई...

–संवाददाता–
सूरजपुर,06 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

शिक्षक दिवस के अवसर पर सूरजपुर जिले के लिए गौरव का क्षण रहा,रामानुजनगर विकासखंड के दो शिक्षकों गोपाल सिंह और योगेश कुमार साहू को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य एवं नवाचार के लिए राज्य शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। राज्य स्तर पर चयनित 64 शिक्षकों की सूची में सूरजपुर से दोनों शिक्षकों के नाम शामिल थे। रा्य स्तर पर चयनित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में दोनों शिक्षकों को सम्मानित किया गया। उनके चयन के पीछे नवाचारपूर्ण शिक्षण,विज्ञान शिक्षा,गतिविधि आधारित शिक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास,

पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में किए गए कार्य प्रमुख रहे,कलेक्टर रेना जमील ने दोनों शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान उनके परिश्रम,समर्पण और शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम है,उन्होंने कहा कि शिक्षकों की मेहनत विद्यार्थियों के भविष्य की मजबूत नींव तैयार करती है,दोनों शिक्षकों की उपलब्धियां जिले के अन्य शिक्षकों को भी नवाचार और उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रेरित करेंगी।

विज्ञान और नवाचार को बनाया शिक्षण का आधार-गोपाल सिंह,रामानुजनगर के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में व्याख्याता हैं,उन्होंने विज्ञान शिक्षा को विद्यार्थियों के लिए सरल,प्रयोगात्मक और रुचिकर बनाने पर विशेष जोर दिया,उनके



मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की विभिन्न विज्ञान प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर उपलब्धियां हासिल की हैं,राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस,ईस्पायर अवार्ड-मानक,पश्चिम भारत विज्ञान मेला,प्रेरणा उत्सव,युवा महोत्सव सहित विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों में विद्यार्थियों की भागीदारी में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा,स्मार्ट टीवी, प्रोजेक्टर,आईसीटी,

प्रयोगात्मक शिक्षण और नवाचार आधारित गतिविधियों के माध्यम से वे कक्षा शिक्षण को आधुनिक स्वरूप देने का प्रयास करते हैं, विज्ञान मेले,विजज,खेलकूद,सांस्कृतिक कार्यक्रम,युथ एवं इको क्लब,पोषण वाटिका तथा पर्यावरण संरक्षण जैसी गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच,नेतृत्व क्षमता और रचनात्मकता विकसित करने पर जोर दिया गया, गोपाल सिंह शिक्षा के क्षेत्र में लेखन कार्य भी कर चुके हैं, ‘विज्ञान के अद्भुत विचार’ और ‘सफलता की राहें’ जैसी पुस्तकों के लेखक के रूप में भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, वर्ष 2024-25 में उन्हें शिक्षा श्री गौरव अलंकरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है।

गतिविधि आधारित शिक्षा से बच्चों में

बढ़ाया उत्साह-शासकीय माध्यमिक शाला पतरापाली के शिक्षक योगेश कुमार साहू को नवाचार,गतिविधि आधारित शिक्षा और सामाजिक सरोकारों के लिए राज्य शिक्षक सम्मान मिला है,उन्होंने विद्यालय में स्मार्ट क्लास,टीएलएम निर्माण,किचन गार्डन,प्रयोगात्मक शिक्षण और ‘खेल-खेल में शिक्षा’ जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया,उनका प्रयास रहा कि पढ़ाई केवल किताबों तक सीमित न रहे,बल्कि विद्यार्थी गतिविधियों के माध्यम से सीखें,इसी सोच के तहत विभिन्न रचनात्मक एवं शैक्षणिक गतिविधियों से बच्चों को जोड़ा गया, योगेश साहू ने शाला त्यागी बच्चों को दोबाग शिक्षा की मुख्याधारा से जोड़ने, नियमित पालक संपर्क बढ़ाने और विद्यार्थियों की उपस्थिति सुधारने की दिशा में भी काम किया,

साक्षरता,पौधरोपण,जल संरक्षण,स्वच्छता और पर्यावरण जागरूकता जैसे अभियानों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही।

18 बार रक्तदाता कर सामाजिक सेवा की मिसाल- शिक्षण कार्य के साथ योगेश कुमार साहू सामाजिक सेवा में भी सक्रिय रहे हैं,वे अब तक 18 बार रक्तदान कर चुके हैं,उनकी यह पहल विद्यार्थियों के बीच सेवा,संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने की दिशा में प्रेरणादायी मानी जा रही है,स्काउट-गाइड,विज्ञान एवं जागरूकता कार्यक्रम,खेलकूद,राष्ट्रीय पर्व,स्वास्थ्य एवं सामाजिक जागरूकता अभियानों में विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के साथ उन्होंने विद्यालय और समुदाय के बीच बेहतर समन्वय बनाने में भी भूमिका निभाई।



एक दिन का कार्यवाहक सचिव,सात माह पुराना आदेश और फिर बहाली! सोनपुर समिति में 'कुर्सी का खेल'!

जिसे समिति कर्मचारी नहीं मानती,उसकी वापसी की तैयारी! श्यामलाल सिंह की भूमिका पर गंभीर सवाल

- नियुक्ति नहीं,चयन प्रक्रिया नहीं...फिर विवेक चौरसिया की बहाली किस नियम से?
- विवेक चौरसिया की वापसी पर घमासान,नियुक्ति के दस्तावेज गायब,पुराने आदेश का अचानक सहारा
- सोनपुर समिति में 'हटाओ और लौटाओ' का खेल? शाखा प्रबंधक श्यामलाल सिंह की भूमिका जांच के घेरे में...
- कर्मचारी नहीं तो बहाली कैसी? विवेक चौरसिया को लेकर सोनपुर समिति में नियमों की परीक्षा
- श्यामलाल सिंह को विवेक से इतनी हमदर्दी क्यों?नई नियुक्ति के बजाय पुराने आदेश से वापसी पर सवाल
- न विज्ञापन,न चयन प्रक्रिया और न नियुक्ति का स्पष्ट दस्तावेज...एक दिन के कार्यवाहक सचिव के जरिए सात माह पुराने आदेश पर कार्रवाई...बेरोजगार युवाओं ने मांगी जांच...



एक दिन का कार्यवाहक सचिव और फिर इतनी बड़ी कार्रवाई!- मामले का सबसे चौकाने वाला आरोप यह है कि शिकायतकर्ताओं के अनुसार शाखा प्रबंधक सह प्राधिकृत अधिकारी श्यामलाल सिंह द्वारा संबंधित व्यक्ति को एक दिन के लिए कार्यवाहक सचिव बनाया गया और उसके बाद उसी व्यवस्था में विवेक कुमार चौरसिया को पुनः कार्य में रखने की कार्रवाई की गई, यदि यह घटनाक्रम दस्तावेजों से प्रमाणित होता है तो यह जांच जरूरी होगी कि कार्यवाहक सचिव को किस आदेश से नियुक्त किया गया था और उसे कौन-कौन से अधिकार दिए गए थे, क्या उसे कर्मचारी की नियुक्ति अथवा पुनर्बहाली का प्रस्ताव पारित कराने का अधिकार था? क्या उसके पास सेवा संबंधी निर्णय लेने का अधिकार था? क्या संचालक मंडल की बैठक के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज सदस्यों के सामने रखे गए थे? और सबसे महत्वपूर्ण है की क्या विवेक कुमार चौरसिया की मूल नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज बैठक में प्रस्तुत किए गए थे?

रही है, यह आरोप जांच का विषय है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से यह स्पष्ट होना चाहिए कि शाखा प्रबंधक और प्राधिकृत अधिकारी के रूप में श्यामलाल सिंह को कौन-कौन से अधिकार प्राप्त हैं, क्या वह स्वयं किसी कर्मचारी की नियुक्ति कर सकते हैं? क्या वह किसी पुराने कर्मचारी की बहाली कर सकते हैं? क्या वह संचालक मंडल से ऐसा प्रस्ताव पारित करा सकते हैं? क्या वेतन भुगतान का निर्णय भी उन्हीं के स्तर से हो सकता है? इन सवालों का उत्तर संस्था के उपबिधि, सेवा नियम और संबंधित आदेशों से मिलना चाहिए।

-आंकर पाण्डेय-
सूरजपुर/भैयाथान,06 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)

आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित सोनपुर में विवेक कुमार चौरसिया को पुनः कार्य पर रखने का मामला अब महज एक कर्मचारी की वापसी का विवाद नहीं रह गया है,उपलब्ध दस्तावेजों,समिति की ओर से दिए गए जवाब और शिकायतकर्ताओं द्वारा उठाए गए सवालों को एक साथ देखा जाए तो नियुक्ति प्रक्रिया, प्राधिकृत अधिकारी की भूमिका,संचालक मंडल की बैठक और पुराने आदेश के अचानक पालन-चारा स्तर पर सवाल खड़े होते हैं। मामला इसलिए भी दिलचस्प है कि एक ओर समिति के पत्रों में विवेक कुमार चौरसिया को पूर्व में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अस्थायी लिपिक के रूप में कार्य में रखे जाने की बात सामने आती है,दूसरी ओर शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि उनकी नियमित नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन,आवेदन,चयन प्रक्रिया और नियुक्ति आदेश का कोई स्पष्ट दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बावजूद बाद में उन्हें पुनः कार्य में रखने की कार्रवाई की गई,व्यंग्य में कहें तो सोनपुर समिति में शायद 'नियुक्ति आदेश नहीं मिला तो पुराना आदेश ही सही' वाली व्यवस्था चल पड़ी है,पहले कर्मचारी को वैकल्पिक व्यवस्था में रखिए,फिर उसे कार्य से पृथक कीजिए,फिर महीनों बाद पुराने पत्र को निकालिए और प्राधिकृत अधिकारी बदलते ही बैठक बुलाकर वापसी का रास्ता खोल दीजिए, हालांकि यह केवल घटनाक्रम पर आधारित व्याख्यात्मक सवाल है,कार्रवाई की वैधानिकता का अंतिम निर्धारण सक्षम जांच से ही होगा।

जिसकी नियुक्ति ही नहीं हुई,उसकी बहाली किस पद पर?-विवेक कुमार चौरसिया की पूर्व स्थिति को लेकर समिति के दस्तावेज सबसे महत्वपूर्ण हैं,समिति की ओर से दिए गए जवाब में कहा गया है कि तत्कालीन समय में संस्था के कुछ कर्मचारी अनुपस्थित थे और संस्था के कामकाज को सुचारु रखने के लिए विवेक कुमार चौरसिया को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अस्थायी लिपिक के रूप में काम में रखा गया था,दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि उनकी नियमित नियुक्ति नहीं की गई और नियुक्ति आदेश भी जारी नहीं किया गया, यहीं से पूरा मामला उलझता है,अगर नियमित नियुक्ति हुई ही नहीं थी तो फिर बाद में उन्हें पुनः कार्य पर रखने का आधार क्या था? अगर वह केवल वैकल्पिक व्यवस्था में थे तो उस व्यवस्था की अवधि कितनी थी? और यदि वह व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी तो क्या पुराने वैकल्पिक कर्मचारी को बिना नई चयन प्रक्रिया के फिर से उसी संस्था में रखा जा सकता है?

इन सवालों का जवाब नियुक्ति से जुड़े मूल अभिलेखों से ही मिल सकता है।

विज्ञापन नहीं तो आवेदन कहां से आया,आवेदन नहीं तो चयन किसका हुआ?-17 अगस्त 2026 को प्रस्तुत शिकायत में विवेक कुमार चौरसिया की नियुक्ति को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं,शिकायत में दावा किया गया है कि समिति अथवा उच्च कार्यालय द्वारा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी नहीं किया गया,समिति कार्यक्षेत्र के किसी अभ्यर्थी से आवेदन नहीं लिया गया और स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों को प्राथमिकता नहीं दी गई,शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसके बावजूद समिति कार्यक्षेत्र के बाहर के व्यक्ति विवेक कुमार चौरसिया को नियुक्त किया गया,यदि शिकायत में लगाए गए ये आरोप रिकॉर्ड से प्रमाणित होते हैं तो यह जांच का विषय होगा कि नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया किस नियम के तहत हुई,और अगर आरोप गलत हैं तो समिति को केवल एक काम करना है-विज्ञापन दिखाइए,आवेदन दिखाइए,चयन प्रक्रिया दिखाइए और नियुक्ति आदेश दिखाइए, फाइनल साफ होगी तो सवाल भी साफ हो जाएंगे।

सात महीने पुराना आदेश अचानक इतना 'जिंदा' कैसे हो गया?-मामले में सबसे महत्वपूर्ण पहलू समय का है, उपलब्ध दस्तावेजों में नवंबर 2025 में उपायुक्त सहकारिता सूरजपुर की ओर से विवेक कुमार चौरसिया को उनके मूल पद पर रखे जाने से संबंधित कार्रवाई का उल्लेख मिलता है, इसके बाद जनवरी 2026 में भी इस प्रकरण में पत्राचार हुआ,29 जनवरी 2026 के समिति के जवाब में यह बताया गया कि विवेक कुमार चौरसिया की अनुपस्थिति और नियुक्ति से संबंधित मामले में संस्था की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया था,इसी क्रम में 2 जनवरी 2026 के उपायुक्त सहकारिता कार्यालय के पत्र में भी विवेक कुमार चौरसिया के प्रकरण की नस्तीबद्ध किए जाने का उल्लेख दिखाई देता है,अब शिकायतकर्ताओं का सवाल है कि यदि जनवरी 2026 में प्रकरण नस्तीबद्ध हो गया था,तो फिर बाद में उसी पुराने मामले को किस आधार पर पुनर्जीवित किया गया? और यदि नवंबर 2025 का आदेश प्रभावी था तो उसका पालन तत्काल क्यों नहीं कराया गया? यही वह सवाल है जिस पर पूरी फाइल की टाइमलाइन सामने आना जरूरी है।

प्राधिकृत अधिकारी बदले और पुराने आदेश की 'याद' भी लौट आई?-शिकायत में सबसे गंभीर सवाल यह उठाया गया है कि जिस समय विवेक कुमार चौरसिया को पुनः कार्य पर रखने की कार्रवाई हुई,उस समय

समिति की प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव हो चुका था,शाखा प्रबंधक भैयाथान श्यामलाल सिंह को प्राधिकृत अधिकारी का प्रभार मिलने के बाद संचालक मंडल की बैठक आयोजित कर विवेक कुमार चौरसिया को कार्य में रखने की कार्रवाई किए जाने का आरोप है,यहीं से सवाल उठता है की अगर सात महीने पहले आदेश जारी हो चुका था तो सात महीने तक उसका पालन क्यों नहीं हुआ? अगर आदेश का पालन जरूरी था तो तत्काल क्यों नहीं कराया गया? और यदि उस आदेश में कोई कमी थी तो नया स्पष्ट आदेश क्यों नहीं निकाला गया? प्राधिकृत अधिकारी बदलने के बाद उसी पुराने आदेश के आधार पर कार्रवाई क्यों की गई? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि प्रशासनिक आदेशों का पालन केवल सुविधा के अनुसार नहीं होना चाहिए।

'कार्यवाहक' की कुर्सी से स्थायी कर्मचारी की वापसी?-यही मामला व्यंग्य का सबसे बड़ा विषय बन जाता है,जिस व्यक्ति को समिति में कार्यवाहक सचिव की जिम्मेदारी दी गई,यदि उसके हस्ताक्षर से ऐसे व्यक्ति को वापस कार्य पर रखने की कार्रवाई हुई जिसकी नियमित नियुक्ति ही विचारित है,तो सवाल उठना स्वाभाविक है,क्या एक दिन की कुर्सी इतनी ताकतवर हो गई कि उससे महीनों पुराने नियुक्ति विवाद का समाधान हो गया? या फिर उस कार्रवाई के पीछे कोई स्पष्ट वैधानिक आधार मौजूद था? यदि आधार मौजूद है तो उसे सामने रखने में विभाग को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।

'नियुक्ति आदेश दिखाइए'...यही पूरे मामले की मास्टर चाबी-विवेक कुमार चौरसिया की नियुक्ति विवाद में शायद सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज सिर्फ एक है-मूल नियुक्ति आदेश,यदि यह आदेश मौजूद है तो विवाद का बड़ा हिस्सा समाप्त हो सकता है, उसमें देखा जा सकता है की पद कौन सा था? पद स्वीकृत था या नहीं? क्या चयन समिति बनी? क्या नियुक्ति किस अधिकारी ने की? क्या विज्ञापन जारी हुआ? क्या चयन समिति बनी? क्या आवेदन लिए गए? क्या नियुक्ति अस्थायी थी या नियमित? नियुक्ति की अवधि क्या थी? वेतन किस मद से दिया गया? क्या सक्षम संस्था ने अनुमोदन दिया? लेकिन शिकायत कर्ताओं का दावा है कि ऐसा मूल नियुक्ति आदेश सामने नहीं आया है,इसलिए अब पूरा मामला 'कागज दिखाओ,विवाद मिटाओ' के सिद्धांत पर आकर टिक गया है।

उच्च कार्यालय के पत्र और समिति के जवाब में अंतर क्यों?-दस्तावेजों में एक तरफ उच्च कार्यालय द्वारा विवेक कुमार चौरसिया को उनके मूल पद पर रखने संबंधी निर्देश का उल्लेख है,दूसरी तरफ समिति की

ओर से दिए गए जवाब में उनकी पूर्व स्थिति को वैकल्पिक व्यवस्था बताया गया है,यहीं एक और महत्वपूर्ण जांच की आवश्यकता है,क्या उच्च कार्यालय को यह बताया गया था कि उनकी नियमित नियुक्ति का आदेश उपलब्ध नहीं है? क्या उच्च कार्यालय के सामने समिति की ओर से पूर्व नियुक्ति की पूरी फाइल रखी गई? क्या नियुक्ति आदेश,पद स्वीकृति और चयन प्रक्रिया की जांच हुई? क्या 2 जनवरी 2026 को प्रकरण नस्तीबद्ध किए जाने के बाद कोई नया आदेश हुआ? अगर हुआ तो वह कहां है? यदि नहीं हुआ तो फिर बाद में बहाली की प्रक्रिया किस आधार पर आगे बढ़ी?

शिकायतकर्ता का आरोप-दस्तावेजों की जांच किए बिना हुई कार्रवाई-17 अगस्त 2026 की शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि विवेक कुमार चौरसिया की पूर्व नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज,स्वीकृत पद, चयन प्रक्रिया,जारी नियुक्ति आदेश तथा सक्षम निकाय की स्वीकृति आदि का विधिवत परीक्षण किए बिना उन्हें पुनः कार्य पर रखा गया, शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की तत्काल जांच, कठित नियम विरुद्ध आदेशों एवं प्रस्ताव-उद्धार पर गेक तथा दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, अब यह संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है कि वह जांच में यह स्पष्ट करे कि शिकायत में लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है।

पुरानी फाइल,नया प्राधिकृत अधिकारी और फिर नई कार्यवाही...सर्वोय महत्वपूर्ण चीज टाइमलाइन है, पहले विवेक कुमार चौरसिया को वैकल्पिक व्यवस्था में रखा गया,फिर उनकी सेवा/कार्य व्यवस्था समाप्त हुई, इसके बाद शिकायत हुई,उच्च कार्यालयों से पत्राचार हुआ, जनवरी 2026 में प्रकरण नस्तीबद्ध किए जाने का पत्र सामने आया,फिर प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव हुआ, शाखा प्रबंधक श्यामलाल सिंह को प्राधिकृत अधिकारी का प्रभार मिला, इसके बाद संचालक मंडल की बैठक हुई,और फिर पुराने आदेश का हवाला देते हुए विवेक कुमार चौरसिया को कार्य पर रखने की कार्रवाई हुई,अब सवाल यह है कि इन सभी घटनाओं के बीच फाइल में कौन-सा नया दस्तावेज जुड़ा,जिसने पूर्व स्थिति बदल दी? अगर कोई नया दस्तावेज नहीं जुड़ा जो फिर पुराने विवाद का समाधान कैसे हुआ?

सवाल केवल विवेक की वापसी का नहीं,व्यवस्था की विश्वसनीयता का है-यह मामला किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ फैसला सुनाने का नहीं है, किसी व्यक्ति की नियुक्ति वैध है या अवैध...यह सक्षम प्राधिकारी और जांच के बाद ही तय होगा,लेकिन सहकारी संस्था में नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी होनी

चाहिए,यदि पद है तो पद स्वीकृति होनी चाहिए,यदि नियुक्ति है तो नियुक्ति आदेश होना चाहिए,यदि चयन हुआ है तो चयन प्रक्रिया होनी चाहिए,यदि बहाली हुई है तो बहाली का सक्षम आदेश होना चाहिए,और यदि पुराने आदेश का पालन किया गया है तो यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि उसका पालन सात महीने बाद क्यों हुआ।

विवेक से इतनी 'हमदर्दी' क्यों?-शिकायतकर्ताओं ने एक और राजनीतिक-प्रशासनिक सवाल खड़ा किया है की यदि विवेक कुमार चौरसिया को संस्था में रखना ही है तो उन्हें नियमसम्मत तरीके से नई नियुक्ति क्यों नहीं दी जाती? यदि पद स्वीकृत है, रिक्त है और विवेक उस पद की योग्यता पूरी करते हैं तो विज्ञापन जारी हो,क्षेत्र के पात्र बेरोजगारों से आवेदन लिया जाए,चयन प्रक्रिया हो,सक्षम निकाय से अनुमोदन लिया जाए,फिर जो योग्य हो उसे नियुक्त किया जाए,ऐसी प्रक्रिया में विवाद की गुंजाइश ही कम हो जाती है, लेकिन जब नियमित नियुक्ति के मूल दस्तावेज सामने नहीं आते और पुरानी वैकल्पिक व्यवस्था को आधार बनाकर वापसी कराई जाती है,तब बेरोजगार युवाओं का सवाल उठना स्वाभाविक है।

वेतन भुगतान का अगला सवाल...बहाली हुई तो भुगतान किस आधार पर?-मामला यहीं खत्म नहीं होता, यदि विवेक कुमार चौरसिया को पुनः कार्य पर रख दिया गया है तो अगला सवाल वेतन भुगतान का होगा,वेतन किस आदेश के आधार पर दिया जाएगा? किस पद के विरुद्ध दिया जाएगा? किस अवधि का भुगतान होगा? क्या पिछली अवधि का वेतन भी मांगा जाएगा? यदि पिछली अवधि का वेतन दिया जाता है तो उस अवधि में वे कर्मचारी के रूप में किस आदेश के तहत माने जाएंगे? और यदि संस्था का कहना है कि उनकी नियमित नियुक्ति कभी हुई ही नहीं तो फिर बकाया वेतन की गणना किस सेवा अवधि के आधार पर होगी? यानी नियुक्ति का एक सवाल आगे चलकर आर्थिक सवाल भी बन सकता है।

'कुर्सी' का फैसला या नियम का फैसला?-सोनपुर समिति में अब असली सवाल यह नहीं है कि विवेक कुमार चौरसिया वापस आएंगे या नहीं,असली सवाल यह है कि वह किस वैधानिक प्रक्रिया से वापस आएंगे? यदि उनकी नियुक्ति वैध थी तो दस्तावेज सामने रखे जाएं,यदि वह वैकल्पिक कर्मचारी थे तो उस व्यवस्था के नियम बताए जाएं,यदि उन्हें हटाया गया था तो पुनः रखने का आदेश बताया जाए, यदि सात महीने पुराने आदेश का पालन किया गया तो विलंब का कारण बताया जाए, यदि प्राधिकृत अधिकारी बदलने के बाद कार्रवाई हुई तो उसकी प्रशासनिक वजह बताई

जाए, और यदि कार्यवाहक सचिव के माध्यम से कार्रवाई हुई तो उसे दिए गए अधिकारों का रिकॉर्ड सामने रखा जाए।

अब विभाग से सीधे सवाल...

- क्या विवेक कुमार चौरसिया की नियमित नियुक्ति का मूल आदेश उपलब्ध है?
- यदि उपलब्ध है तो वह किस अधिकारी ने जारी किया था?
- क्या नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी हुआ था?
- क्या समिति कार्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों से आवेदन लिए गए थे?
- क्या चयन प्रक्रिया हुई थी?
- क्या पद स्वीकृत था?
- क्या जनवरी 2026 में नस्तीबद्ध किए गए प्रकरण को बाद में पुनः खोला गया?
- यदि खोला गया तो किस आदेश से?
- सात महीने पुराने आदेश का पालन तत्काल क्यों नहीं हुआ?
- प्राधिकृत अधिकारी बदलने के बाद उसी पुराने आदेश पर कार्रवाई क्यों हुई?
- क्या पुनः कार्य पर रखने से पहले मूल नियुक्ति दस्तावेजों का परीक्षण किया गया?
- क्या कार्यवाहक सचिव को ऐसी कार्रवाई करने का अधिकार था?
- यदि विवेक की नियुक्ति वैध थी तो नियुक्ति आदेश सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा?
- और यदि नियुक्ति वैध नहीं थी तो फिर उन्हें कार्य पर रखने की पूरी प्रक्रिया किस नियम के तहत हुई?

सोनपुर में अब 'कुर्सी' नहीं, दस्तावेज बोलेंगे...

सोनपुर समिति का यह मामला अब केवल आरोप-प्रत्यारोप से हल होने वाला नहीं है,यहां नियुक्ति आदेश,प्रस्ताव पुरतिका,बैठक की कार्यवाही,पद स्वीकृति,चयन प्रक्रिया,उच्च कार्यालयों के पत्र,2 जनवरी 2026 का नस्तीबद्ध प्रकरण,7 अगस्त 2026 की बैठक और उसके बाद जारी कार्यदेश-इन सभी दस्तावेजों को एक साथ रखकर जांच की जरूरत है, क्योंकि यदि पूरी प्रक्रिया नियमसम्मत है तो दस्तावेज उसे साबित कर देंगे,और यदि प्रक्रिया में कहीं नियमों की अनदेखी हुई है तो वहीं दस्तावेज उसे भी सामने ला देंगे,सोनपुर समिति में अब सवाल यह नहीं कि किसकी 'पहुंच' कितनी है,सवाल यह है कि फाइल में किसके पक्ष में कितना नियम है,और व्यंग्य की भाषा में कहें तो कुर्सी चाहे एक दिन की हो या सात महीने पुरानी फाइल की-उस पर बैठकर लिया गया फैसला नियमों से बड़ा नहीं हो सकता।



खाद्य एवं औषधि प्रशासन में ‘नियमों का स्वाद’ कुछ ज्यादा ही मीठा!

जिस विभाग को मिलावट पकड़नी है, उसी में ‘नियमों की मिलावट’ पर सवाल!

लैब टेक्नीशियन से Food Safety Officer बनने का मामला, B.Sc.-M.Sc. Chemistry की पात्रता पर विवाद और शासन के अलग-अलग मामलों में अलग कानूनी रुख ने बढ़ाई बेचैनी

एफएसओ पदोन्नति 10 से 25 प्रतिशत हुई, लैब टेक्नीशियन से अधिकारी बनने की कहानी और योग्यता की व्याख्या ने खोल दी विभागीय व्यवस्था की परतें

10 से 25 प्रतिशत का ‘पदोन्नति तड़का’: खाद्य विभाग में नियमों की रैपिड पर उठे सवाल...

खाद्य विभाग में ‘एफएसओ फॉर्मूला’, पदोन्नति बढ़ी, योग्यता उलझी और पुराने मामलों की फाइलें फिर खुलीं...

एफएसओ की कुर्सी तक पहुंचने के रास्ते में कितने नियम? पदोन्नति, योग्यता और पुराने मामलों ने बढ़ाई हलचल...

खाद्य विभाग में नियमों की ‘मिलावट’ का सवाल, 25 प्रतिशत पदोन्नति के बाद पुराने एकरंट भी वर्ग में...

लैब से एफएसओ तक और B.Sc. से Chemistry की विशेषज्ञता तक, खाद्य विभाग में पात्रता की नई बहस

एक विभाग, अलग-अलग नियमों की कसबनी: एफएसओ में 25%, ड्रग इंस्पेक्टर में 10%—आखिर फर्क क्यों?

पदोन्नति की मितस, पात्रता की कड़वाहट: खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनने की प्रक्रिया पर सवाल

—न्यूज डेस्क—

रायपुर, 06 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ का खाद्य एवं औषधि प्रशासन इन दिनों खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से ज्यादा अपनी विभागीय पदोन्नति और नियमों की गुणवत्ता को लेकर चर्चा में है, विभाग का काम जनता को मिलावट से बचना है, लेकिन मुख्यालय में चल रही चर्चाओं को देखकर लगता है कि यहां असली सवाल यह नहीं है कि खाने में मिलावट है या नहीं, बल्कि यह है कि नियमों में कितनी ‘व्याख्या’ मिलाई जा सकती है! ताजा विवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति को लेकर है, विभाग में जहां एक ओर मानव संसाधन की कमी की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी ओर रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के बजाय पदोन्नति के रास्ते को लेकर सवाल खड़े हो रहे

10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत आखिर खाद्य विभाग में ही क्यों?

विभाग के पुराने भर्ती नियमों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पदों को लेकर 90 प्रतिशत सीधों भर्ती और 10 प्रतिशत पदोन्नति का प्रावधान बताया जाता है, वहीं अब संशोधन के बाद पदोन्नति का हिस्सा 25 प्रतिशत किए जाने को लेकर चर्चा है, यहीं से सवाल उठता है की जब विभाग में रिक्तियां थीं तो नई नियुक्ति क्यों नहीं? यदि अनुभव की जरूरत थी तो भर्ती नियमों में उसका समाधान क्यों नहीं किया गया? और यदि पदोन्नति जरूरी थी तो केवल खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर प्रतिशत 25 करने की जरूरत अचानक क्यों महसूस हुई? नियम बनाना सरकार का अधिकार है, नियम में संशोधन भी विधिवत प्रक्रिया से हो सकता है, लेकिन जब संशोधन के तुरंत बाद उसी संवर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता खुलता दिखाई दे, तो पत्रकार का काम ताली बजाना नहीं, बल्कि सवाल पूछना होता है, क्योंकि सरकारी नियम कोई ऐसा दरवाजा नहीं होना चाहिए जिस ज़रूरत के हिसाब से कभी 10 प्रतिशत और कभी 25 प्रतिशत खोल दिया जाए।

हैं, ऊपर से पदोन्नति का प्रतिशत 10 से बढ़कर 25 प्रतिशत हो गया—वह भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए, अब सवाल पूछने वाले पूछ रहे हैं कि आखिर यह कौन-सा जादुई फार्मूला है, जिसमें नौकरी की जरूरत भी है, रिक्तियां भी हैं और समाधान के नाम पर पदोन्नति भी है? और मजेदार बात यह कि ड्रग इंस्पेक्टर के मामले में वही पुराना 10 प्रतिशत बना हुआ है, यानी खाद्य विभाग में पदोन्नति का स्वाद अचानक इतना पसंद आया कि प्रतिशत 25 हो गया, लेकिन औषधि विभाग ने शायद अभी डाइटिंग जारी रखी है!

नियमों की रसोई में ‘योग्यता’ का सबसे बड़ा सवाल—खाद्य सुरक्षा अधिकारी कोई सामान्य कार्यालयीन पद नहीं है। यह खाद्य सुरक्षा कानून के क्रियान्वयन से जुड़ा तकनीकी पद है, इसलिए सवाल केवल इतना नहीं कि कर्मचारी सरकारी सेवा में कितने साल रहा, सवाल यह है कि क्या वह उस तकनीकी पद की वैधानिक योग्यता पूरी करता है? यहीं से नमूना सहायक से खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनने की चर्चा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, यदि किसी कर्मचारी की मूल नियुक्ति नमूना सहायक के पद पर हुई और उस पद की शैक्षणिक योग्यता अलग थी, तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति देते समय क्या उसकी योग्यता का अलग से परीक्षण हुआ? अगर हुआ तो फाइल में दर्ज होगा, अगर नहीं हुआ तो सवाल और बढ़ा हो जाता है, क्योंकि केवल सरकारी सेवा में होना और तकनीकी

वैधानिक पद के लिए पात्र होना—दो अलग-अलग बातें हैं।

‘डिग्री है तो सब चलेगा’ वाला फार्मूला?—शैक्षणिक योग्यता को लेकर भी विभाग में बहस कम नहीं है, किसी पद के लिए यदि विशिष्ट विषय में विशिष्ट डिग्री मांगी गई है, तो फिर सामान्य डिग्री में उस विषय का अध्ययन कर लेने से क्या वही योग्यता पूरी हो जाती है? मसलन, यदि नियम में M.Sc. Chemistry जैसी विशिष्ट योग्यता निर्धारित है और कोई कर्मचारी B.Sc. में Chemistry पढ़े होने को आधार बनाता है, तो सवाल स्वाभाविक है कि दोनों को बराबर कैसे माना गया? वरना कल कोई यह भी कह सकता है...साहब, मैंने 12वीं में Chemistry पढ़ी है, मुझे भी Food Safety Officer बना दीजिए। आखिर Chemistry तो पढ़ी है! व्यंग्य अपनी जगह है, लेकिन सरकारी नियुक्ति में योग्यता का निर्धारण मजाक का विषय नहीं हो सकता, यदि न्यायालय ने किसी मामले में कर्मचारी की पात्रता पर विचार करने का निर्देश दिया है, तो यह भी देखना होगा कि विभाग ने ‘consider’ को ‘qualify’ कैसे पढ़ लिया? यही दस्तावेजों से स्पष्ट होना चाहिए।

संघर्ष कुमार मिश्रा प्रकरण: लैब से खाद्य सुरक्षा तक का सफर—विभाग में सबसे ज्यादा चर्चा जिन पुराने मामलों को लेकर है, उनमें संघर्ष कुमार मिश्रा का नाम भी सामने आता है, दावे के अनुसार उनकी नियुक्ति अनुक्रमा आधार पर लैब असिस्टेंट

के पद पर हुई थी, बाद में वे लैब टेक्नीशियन बने और फिर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में अधिसूचित किए जाने की प्रक्रिया सामने आई, यहां सवाल उठता है कि लैब टेक्नीशियन से खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनने का वैधानिक रास्ता क्या था? यदि किसी प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र को आधार बनाया गया तो उसकी मान्यता क्या थी? प्रशिक्षण देने वाली संस्था अधिकृत थी या नहीं? उस समय लागू कानून और अधिसूचना में उस कर्मचारी को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाए जाने का स्पष्ट आधार क्या था? इन प्रश्नों के उत्तर किसी प्रेस नोट से नहीं, बल्कि मूल फाइल और अधिसूचना से निकलेंगे, यदि पूरी प्रक्रिया नियमसम्मत थी तो दस्तावेजों के सामने आने के बाद विवाद खत्म हो जाना चाहिए। और यदि कहीं कोई कमी थी तो वही दस्तावेज जिम्मेदारी भी तय कर सकते हैं।

12 साल पुरानी फाइल और समीक्षा की रहस्यमयी चुप्पी—अब मामला और रोचक हो जाता है, बताया जा रहा है कि पुराने प्रकरण में न्यायालयीन आदेश के बाद शासन ने लंबे समय तक समीक्षा या आगे की चुनौती का रास्ता नहीं अपनाया, वहीं दूसरे मामलों में शासन न्यायालयीन राहत को स्वीकार करने के बजाय डबल बेंच तक पहुंच गया, यहीं विभागीय गलियारों में सबसे बड़ा सवाल घूम रहा है...क्या शासन के कानूनी चरमे के नंबर मामले के हिसाब से बदलते हैं? एक मामले में आदेश पसंद नहीं आया तो डबल बेंच, दूसरे मामले में आदेश आया तो फाइल शांत, तीसरे मामले में योग्यता पर सवाल उठा तो ‘विचार’ को ही पर्याप्त मान लिया गया, यदि सभी मामले तथ्यात्मक रूप से अलग हैं तो शासन को अंतर स्पष्ट करना चाहिए। और यदि समान प्रकृति के हैं तो अलग-अलग कानूनी रुख का कारण भी सामने आना चाहिए, कानून में सबसे महत्वपूर्ण शब्दों में से एक है—समानता।

सर्वेश यादव-सिद्धार्थ पांडे बनाम राखी ठाकुर: यहां समीक्षा, वहां क्यों नहीं?— विभागीय मामलों में सर्वेश यादव और सिद्धार्थ पांडे से जुड़े प्रकरण में राखी ठाकुर को न्यायालय से राहत मिलने के बाद शासन द्वारा डबल बेंच में उनकी बात भी चर्चा में है, अब तुलना यही है कि जब शासन एक पदोन्नति मामले में न्यायालय के आदेश के खिलाफ आगे की कानूनी लड़ाई लड़ सकता है, तो पुराने मामलों में ऐसा क्यों नहीं किया गया? फिर वही

सवाल कानूनी नीति एक है या केस देखकर बदलती है? यह आरोप लगाने का विषय नहीं, बल्कि रिकॉर्ड से जवाब देने का विषय है, शासन चाहे तो संबंधित मामलों की पूरी कानूनी स्थिति सार्वजनिक कर सकता है। इससे कोई सवाल अपने आप खत्म हो जाएगा।

16 जनवरी 2023 से 26 नवंबर 2025 तक नियमों का सफर—शैक्षणिक योग्यता को लेकर केंद्र सरकार की ओर से 16 जनवरी 2023 को नियमों में बदलाव/अधिसूचना की चर्चा है, राज्य में संबंधित संशोधन 26 नवंबर 2025 को सामने आया, यहां भी सवाल उठता है कि केंद्रीय स्तर पर बदलाव के बाद राज्य स्तर पर संशोधन में इतना समय क्यों लगा? यदि यह सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया थी तो 2023 से 2025 तक का अंतर समझाया जाना चाहिए और दूसरी तरफ यदि पदोन्नति प्रतिशत में बदलाव अपेक्षाकृत कम समय में कर दिया गया, तो विभाग से पूछा जा सकता है योग्यता वाले नियम की फाइल पैदल चली और पदोन्नति प्रतिशत वाली फाइल एक्सप्रेस ट्रेन से क्यों पहुंची? बेशक प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अलग-अलग स्तर और औपचारिकताएं होती हैं, इसलिए केवल समय-अंतर से अनिर्णयता साबित नहीं होती। लेकिन यही अंतर सवाल जरूर पैदा करता है।

ड्रग इंस्पेक्टर बोला... मैं 10 प्रतिशत पर ही खुश हूँ!— सबसे दिलचस्प तुलना ड्रग इंस्पेक्टर और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की है, बताई जा रही व्यवस्था के अनुसार ड्रग इंस्पेक्टर के लिए पदोन्नति का प्रतिशत 10 प्रतिशत ही है, जबकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए इसे 25 प्रतिशत किया गया, अब विभागीय गलियारों की व्यंग्यात्मक चर्चा कुछ यूँ है... ‘खाद्य विभाग को अतिरिक्त 15 प्रतिशत की भूख लग गई, औषधि विभाग अभी संतोषी बना हुआ है!’ लेकिन असली प्रश्न यह है कि क्या इस बदलाव के पीछे स्पष्ट प्रशासनिक कारण दर्ज हैं? यदि है तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए, यदि नहीं है तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि पदोन्नति का प्रतिशत तय करने का आधार क्या था।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनेंगे तो क्या जिले भी ‘शुद्ध’ हो जाएंगे?—पदोन्नति के समर्थक कह सकते हैं कि अनुभवी कर्मचारियों को पदोन्नति मिलने से विभाग की कार्यक्षमता बढ़ेगी, बिचकुल बढ़नी चाहिए, लेकिन इसके

साथ एक और उम्मीद भी है...अब जिलों में होटल, रेस्टोरेंट, खाद्य प्रतिष्ठान और बाजारों की जांच निष्पक्ष हो, नमूने सही तरीके से लिए जाएं, रिपोर्ट समय पर आए, मिलावट पर कार्रवाई हो, किसी व्यापारी को अनावश्यक परेशान न किया जाए, और सबसे महत्वपूर्ण...खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पद किसी कर्मचारी की पदोन्नति का पुरस्कार नहीं, बल्कि जनता की खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी है, अगर पदोन्नति के बाद भी वही पुरानी शिकायतें जारी रहें तो फिर सवाल उठेगा कि बदला क्या—पद या व्यवस्था?

अब विभाग को ‘जवाब’ नहीं, पूरी फाइल खोलनी चाहिए—इस पूरे विवाद का सबसे सरल समाधान है की दस्तावेज सार्वजनिक कर दिए जाएं, कौन पात्र था? किस नियम के तहत पात्र था? कौन-सी डिग्री थी? कौन-सा अनुभव था? कौन-सा प्रशिक्षण था? डिप्लोमा में किसने क्या निर्णय लिया? 25 प्रतिशत पदोन्नति का आधार क्या था? क्या केंद्रीय नियमों का परीक्षण किया गया? पुराने न्यायालयीन मामलों में शासन का रुख क्या था? यदि इन सभी प्रश्नों के उत्तर रिकॉर्ड के साथ सामने आ जाएं तो ‘सेटिंग’, ‘पक्षपात’ और ‘नियमों की मनमानी’ जैसे शब्द अपने आप कमजोर पड़ जाएंगे।

अंत में सबसे बड़ा सवाल...

खाद्य एवं औषधि प्रशासन का मूल काम जनता को सुरक्षित भोजन और दवा उपलब्ध कराना है, इसलिए विभाग के भीतर होने वाली हर नियुक्ति और पदोन्नति की प्रक्रिया भी उतनी ही पारदर्शी, तकनीकी और नियमसम्मत होनी चाहिए, क्योंकि अगर खाद्य सुरक्षा अधिकारी की कुर्सी तक पहुंचने के लिए नियमों की सीढ़ी के बजाय व्याख्या की लिफ्ट इस्तेमाल होने लगे, तो सवाल उठना तय है, और आज विभाग से जनता यही पूछ रही है...खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाने का नियम क्या है? पदोन्नति का अधिकार किस संवर्ग को है? 25 प्रतिशत क्यों दिया गया? और जिन 13 लोगों को पदोन्नति मिली, उनकी नियम 2.1.3 वाली पूरी पात्रता किसने और कैसे जांची? इन सवालों के जवाब यदि नियमों और दस्तावेजों के साथ मिल जाएं तो विवाद खत्म, वरना खाद्य विभाग में मिलावट की जांच करने वाले विभाग को पहले अपनी ही व्यवस्था में पारदर्शिता की जांच करनी पड़ेगी, दैनिक घटती-घटना की मुहिम का सवाल जनता के, जवाब विभाग के।

जातिगत जनगणना के फॉर्म पर कांग्रेस ने उठाए सवाल... नाना पटोले का आरोप-मौजूदा प्रश्नावली में ओबीसी का जिक्र तक नहीं, बदलाव की मांग

रायपुर, 06 सितम्बर 2026। जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता नाना भाऊ पटोले ने मौजूदा प्रारूप को दोषपूर्ण बताते हुए इसमें बदलाव दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत की मौजूदगी में आयोजित पत्रकारवाता में पटोले ने कहा कि जातियों की सही गिनती नहीं हुई तो इसका सीधा असर सामाजिक न्याय की नीतियों पर पड़ेगा।

कांग्रेस ने जातियों की गिनती के लिए पहले से प्रमाणित जातियों की ‘ड्रॉपडाउन लिस्ट’ तैयार करने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि इससे जातियों के नाम और आंकड़ों में होने वाली गड़बड़ियों को रोका जा सकेगा। पटोले ने तेलंगाना और बिहार में अपनाई गई पद्धति के आधार पर नई प्रश्नावली तैयार करने की मांग की। कांग्रेस का कहना है कि जातियों की सही और व्यवस्थित गिनती के लिए मौजूदा प्रारूप में जरूरी बदलाव किए जाने चाहिए। नाना भाऊ पटोले ने प्रश्नावली

के सवाल नंबर 10 पर सबसे ज्यादा आपत्ति जताई। कांग्रेस के मुताबिक, इसमें जाति का नाम लिखने के लिए ओपन-एंडेड विकल्प दिया गया है। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपनी जाति या उपजाति का जो नाम बताएगा, गणनाकर्मी उसे उसी रूप में दर्ज करेगा। कांग्रेस का कहना है कि देश के अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों में एक ही जाति को अलग-अलग नाम, बोली की स्पेलिंग से जाना जाता है। ऐसे में एक ही जाति के कई नाम दर्ज हो सकते हैं। इससे

आंकड़ों में अंतर आने की आशंका है और जातियों की वास्तविक आबादी का सही अनुमान लगाना मुश्किल हो सकता है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि मौजूदा प्रश्नावली में ‘पिछड़ा वर्ग’ शब्द तक शामिल नहीं किया गया है। पटोले के मुताबिक, इसका सबसे ज्यादा असर ओबीसी, ईबीसी और अन्य वंचित वर्गों पर पड़ सकता है। अगर एक ही जाति के नाम अलग-अलग तरीके से दर्ज हुए तो उसकी वास्तविक संख्या कम या अलग-अलग हिस्सों में बंटी हुई दिखाई दे



सकती है। कांग्रेस का कहना है कि इसका सीधा असर आरक्षण, सरकारी नौकरियों, शिक्षा, छात्रवृत्ति और कल्याणकारी योजनाओं में इन वर्गों की हिस्सेदारी तय करने पर पड़ सकता है। नाना भाऊ पटोले ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के पास पहले से जातियों की सूचियां उपलब्ध हैं। ऐसे में जातिगत जनगणना में इन्हें ड्रॉपडाउन सूची के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता

है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब ओबीसी जातियों की सूची पहले से मौजूद है तो उसे जातिगत जनगणना की प्रश्नावली में शामिल क्यों नहीं किया गया? कांग्रेस ने मांग की है कि जातिगत जनगणना की प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और आम लोगों से चर्चा की जाए और उनके सुझावों के आधार पर नई प्रश्नावली तैयार की जाए।